छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय

कार्यक्रम कियान्वयन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2013–14

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2013-14

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों / निगम / आयोग की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है ।

(डी.एस. मिश्र)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

1. **विभाग का नाम** : **वित्त तथा योजना विभाग**
2. **प्रभारी मंत्री का नाम** : **डॉ. रमन सिंह**

मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

अपर मुख्य सचिव	:	1. श्री डी.एस. मिश्र
सचिव	:	1. श्री आर.एस. विश्वकर्मा
विशेष सचिव	:	1. श्रीमती शहला निगार
संयुक्त सचिव	:	1. श्री सी. जे. खत्री
	:	2. श्री नारायण
उप सचिव	:	1. श्री एस.के. चक्रवर्ती
	:	2. डॉ. ए.के. सिंह
अवर सचिव	:	1. श्री चन्द्रशेखर ओंकार
	:	2. श्री राजभान सिंह
	:	3. श्री राजेश श्रीवास्तव (29.10.2013 तक)
	:	4. श्री मुकुन्द गजभिये (15.01.2014 तक)
शोध अधिकारी	:	1. श्री प्रशांत लाल
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	1. श्री ऋषभ पाराशर
	:	2. श्री आलोक कुमार राय
	:	3. श्रीमती करूणा पाण्डेय (11.10.2013 से)

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारीगण

1.	**आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन**	:	1. श्री एच.पी.किण्डो (04.04.2013 तक)
		:	2. श्री उमेश अग्रवाल (04.05.2013 तक)
		:	3. श्री शंकर राव ब्राम्हणे (06.05.2013 से)
2.	**आयुक्त, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज**	:	1. श्री एच.पी.किण्डो (04.04.2013 तक)
		:	2. श्री उमेश अग्रवाल (04.05.2013 तक)
		:	3. श्री शंकर राव ब्राम्हणे (06.05.2013 से)
3.	**आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा**	:	श्री एन.के. शुक्ला (30.01.2014 तक)
		:	श्रीमती शहला निगार (03.02.2014 से)
4.	**आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी**	:	श्री पी. सी. मिश्रा
5.	**आयुक्त, 20सूत्रीय कार्यक्रम**	:	श्री अमिताभ पाण्डा
6.	**संचालक, संस्थागत वित्त**	:	श्री नारायण
7.	**संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली**	:	श्रीमती शहला निगार
8.	**प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड**	:	श्री आलोक कटियार

मण्डल/आयोग में पदस्थ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

1.	**छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग**	: 1. अध्यक्ष – माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष– श्री शिवराज सिंह
2.	**छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड**	: अध्यक्ष – माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

विषय–सूची

क्र.	विभाग	संचालनालय/आयोग/मण्डल	पृष्ठ संख्या
1.	वित्त विभाग	1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन	पेज 01 से 08 तक
		2. संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा	पेज 09 से 35 तक
		3. संचालनालय, संस्थागत वित्त	पेज 36 से 41 तक
		4. संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज	पेज 42
		5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	पेज 43 से 44 तक
		6. छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	पेज 45
2.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	1. छ.ग.राज्य योजना मण्डल	पेज 46 से 57 तक
		2. संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी	पेज 58 से 68 तक
		3. 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	पेज 69 से 72 तक

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

भाग–एक

सामान्य जानकारी

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिनांक 01.11.2000 को राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप हुई । विभाग की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, पेंशन तथा वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, राज्य वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक का कार्य तथा अंशदायी पेंशन योजना हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में किये जाने वाले सभी कार्य शामिल है ।

1.2 अधीनस्थ कार्यालयः–

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीनस्थ 04 संभागीय कार्यालय, 28 कोषालय, 40 उपकोषालय तथा 02 लेखा प्रशिक्षण शालायें है ।

1.3 स्वीकृत सेटअप :–

मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार है –

स. क.	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	श्रेणी	स्वीकृत पद
01	आयुक्त/संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान		प्रथम श्रेणी	01
02	अपर संचालक	37400–67000	8700	प्रथम श्रेणी	02
03	संयुक्त संचालक	15600–39100	7600	प्रथम श्रेणी	06
04	उप संचालक	15600–39100	6600	प्रथम श्रेणी	11
05	सिस्टम एनालिस्ट	15600–39100	6600	प्रथम श्रेणी	01
06	सहायक संचालक/ कोषालय अधिकारी/ अति.कोषालय अधिकारी/ प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	15600–39100	5400	द्वितीय श्रेणी	46
07	प्रोग्रामर	15600–39100	5400	द्वितीय श्रेणी	04
08	सहायक प्रोग्रामर	9300–34800	4300	तृतीय श्रेणी	30
09	सहायक कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	9300–34800	4300	तृतीय श्रेणी	126
10	शीघ्रलेखक ग्रेड–1	9300–34800	4400	तृतीय श्रेणी	01

11.	शीघ्रलेखक ग्रेड-2	9300-34800	4300	तृतीय श्रेणी	02
12.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	5200-20200	2800	तृतीय श्रेणी	06
13	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	तृतीय श्रेणी	92
14.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	तृतीय श्रेणी	233
15.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	तृतीय श्रेणी	293
16.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200	2400	तृतीय श्रेणी	39
17.	वाहन चालक	5200-20200	1900	तृतीय श्रेणी	10
18.	दफ्तरी	4750-7440	1400	चतुर्थ श्रेणी	33
19.	भृत्य	4750-7440	1300	चतुर्थ श्रेणी	151
20.	चौकीदार	कलेक्टर दर			07
21.	वाटरमैन	कलेक्टर दर			33
22.	स्वीपर/फर्राश	कलेक्टर दर			35
योग					**1162**

1.4 मुख्य कर्त्तव्य:-

1.4.1 कोष प्रचालन :- राज्य के 04 संभागीय संयुक्त संचालकों, 27 जिला कोषालयों एवं 01 सिटी कोषालय तथा 40 उपकोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है । नवीन कोषालयों की स्थापना तथा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1.4.2 कोष निरीक्षण :- राज्य के सभी कोषालय तथा उपकोषालयों का छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1.4.3 पेंशन व वेतन निर्धारण :- राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1.4.4 संवर्ग प्रबंधन :- राज्य वित्त सेवा तथा अधीनस्थ लेखा सेवा का संवर्ग प्रबंधन विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है । प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर तथा कोषालयीन लिपिकीय सेवा वर्ग-1 की सेवायें राज्य स्तरीय सेवायें है जिनका संवर्ग प्रबंधन भी विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है ।

1.4.5 लेखा प्रशिक्षण :-राज्य के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लेखाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु 02 लेखा प्रशिक्षण शाला राज्य में स्थापित है । राज्य के समस्त तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वाह भी संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है ।

1.4.6 अंशदायी पेंशन योजना :-

(a) पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के तहत छ.ग. शासन द्वारा नियमित स्थापना एवं आकस्मिकता/कार्यभारित स्थापना में नियुक्त समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.11.2004 से नई पारिभाषित ''अंशदान आधारित पेंशन योजना'' (NPS) लागू की है । योजना मार्च 2006 के वेतन से क्रियान्वयित की गई । 31 दिसंबर 2013 की स्थिति में योजना में कुल 99466 शासकीय सेवक सम्मिलित है ।

(b) राज्य शासन के अधीन स्वशासी संस्थाओं/निकायों/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/ सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में पदस्थ कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक 1230/एफ-1-41/2009/ वित्त/स्था./चार/2012 रायपुर दिनांक 01 अगस्त 2012 (वित्त निर्देश 56/2012) जारी किया है । तदानुसार योजना क्रियान्वयन की कार्यवाही संबंधित स्वशासी संस्थाओं द्वारा की जावेगी ।

(c) पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के विनियमय का कार्य संपादन करने तक इस योजना के निधि का संधारण राज्य की लोक लेखा में किया गया तथा इसके लेखांकन एवं अभिलेख संधारण का कार्य संचालक कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा निष्पादित किया गया । तदानुसार 01.11.2004 से 30 जून तक 2009 तक राशि का संधारण लोक लेखा में किया गया तथा योजना में सम्मिलित शासकीय सेवकों को परमानेंट पेंशन एकाउण्ट नंबर (PPAN) संचालक कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ 31.03.2009 तक आबंटित किया गया। 01 अप्रैल 2009 से सी.आर.ए. द्वारा परमानेंट रिटायरमेंट एकाउण्ट नंबर PRAN आबंटित किया जा रहा है । 30 जून 2009 तक कर्मचारी अंशदान तथा उसके समतुल्य शासन अंशदान पर सामान्य भविष्य निधि में देय ब्याज की दर पर योजनांतर्गत अभिदाताओं को ब्याज दिया गया है ।

पी.एफ.आर.डी.ए. के दिशानिर्देशों के तहत केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) के साथ राज्य शासन की ओर से दिनांक 19.09.2008 को एवं एन.पी.एस. ट्रस्ट से दिनांक 20.02.2009 को राज्य शासन की ओर से संचालक कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा अनुबंध निष्पादित किया गया । अनुबंध निष्पादन उपरांत लोक लेखा में जमा कर्मचारी अंशदान, शासन अंशदान एवं ब्याज की राशि अगस्त 2009 में केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी को अभिदाताओं का अभिलेख स्थानांतरित करते हुए 31.03.2009 की स्थिति में रू. 87,90,15,804/- तथा सितम्बर 2009 में 01.04.2009 से 30.06.2009 की स्थिति में रू. 18,20,06,909/- ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया गया। जुलाई 2009 से प्रति माह नियमित रूप से राशि ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित की जा रही है ।

भारत शासन की उक्त योजना में पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा एन.पी.एस. ट्रस्ट की स्थापना करते हुए स्टाफ होल्डिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को कस्टोडियन नियुक्त किया गया है, केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी के रूप में एन.एस.डी.एल. को, पेंशन फण्ड मैनेजर के रूप में एस.बी.आई, पेंशन फण्ड लिमिटेड, यू.टी.आई. रिटायरमेंट सल्यूशन, एल.आई.सी. पेंशन फण्ड लिमिटेड एवं ट्रस्टी बैंक के रूप में एक्सिस बैंक को नियोजित किया गया है । वर्तमान में योजना की राशि का विनिमय फण्ड मैनेजरों के बीच क्रमशः 33 प्रतिशत, 34 प्रतिशत, 33 प्रतिशत के अनुपात में किया जा रहा है ।

(d) अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत अभिदाताओं का अभिलेख केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी (सी.आर.ए.) नेशनल सिक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) द्वारा संधारित किया जा रहा है । अभिलेख संधारण हेतु सेवा शुक्ल के रूप में पी.आर.ए.एन. आबंटन पर प्रति पी.आर.ए.एन रू. 50/- प्रति पी.आर.ए.एन. प्रति ट्रन्जेक्शन रू. 4/- एवं प्रति खाता रखरखाव रू. 190/- वार्षिक सी.आर.ए. को भुगतान किया जा रहा है ।

(e) अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा शासकीय सेवकों के अधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्ति के प्रकरण में अधिकतम 60 प्रतिशत, आकस्मिक मृत्यु के प्रकरण में 100 प्रतिशत एवं अधिकवार्षिकी आयु पूर्ण करने के पूर्व सेवा से पृथक के प्रकरण में अधिकतम 20 प्रतिशत राशि एकमुस्त भुगतान करने का प्रावधान रखा गया है । शेष राशि Life Annuity पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा नियुक्त Annuity Service provider से निवेश करेगा।

वर्तमान में उपरोक्त प्रकरणों में भुगतान हेतु शासनादेश प्रतीक्षित है । केवल मृत्यु के प्रकरण में परिवार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ।

1.4.7 ऑडिट प्रकोष्ठ :- आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (ऑडिट प्रकोष्ठ) का गठन किया गया है ।

1.5 उपलब्धियॉं :-

1.5.1 पेंशन तथा वेतन निर्धारण :- वर्ष 2013-14 में माह दिसंबर, 2012 तक 6,761 पेंशन प्रकरण, 1,367 पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण तथा 5,955 वेतन निर्धारण प्रकरणों का निराकरण किया गया है ।

1.5.2 अंशदायी पेंशन योजना :- वर्ष 2013-14 में माह दिसंबर, 2013 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 99,466 शासकीय सेवकों को पंजीकृत किया गया है ।

1.5.3 पेंशनर कल्याण कोष :- पेंशनर कल्याण कोष से पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा प्रदाय करने हेतु 71.10 लाख की राशि उपलब्ध करायी गई है ।

1.5.4 कोषालय स्तर पर कम्प्यूटरीकरण :- राज्य शासन के वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं आय-व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से समस्त कोषालयों एवं उपकोषालयों

को दिनांक 01.04.2005 से कम्प्यूटरीकृत किया गया है । जिसमें सभी कोषालयों एवं उपकोषालयों को संचालनालय के मध्य लीज-लाईन एवं व्ही.पी.एन/ब्रॉडबैण्ड के माध्यम से ऑनलाईन नेट-वर्किंग स्थापित की गई है । इस प्रणाली के अंतर्गतराज्य के आय-व्यय की अद्यतन स्थिति ज्ञान करने में सुविधा होती है । छ.ग. राज्य के कोषालयों में ''ई-कोष'' लागू कर संपूर्ण कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण का सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया है । कोषालयों में डाटा प्रविष्टि के साथ अन्य कार्य जैसे की डिपॉजिट, ई-कर्मचारी, ई-पेरोल, ई-पेमेंट, पंजी का कैशबुक संधारण, पेंशनर का पी.पी.ओ. जारी करना एवं सूची तैयार करना तथा बजट कन्ट्रोल इत्यादि कार्यो का निर्वहन किया जा रहा है ।

1.5.5 ई-चालान की सुविधा :- राज्य शासन द्वारा 10/2006 से राज्य में वाणिज्य कर विभाग में ई-चालान की सुविधा प्रारंभ की गई है एवं दिनांक 10.03.2008 से सभी विभागों के लिये भी लागू किया गया है । इस प्रक्रिया से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाला व्यक्ति घर पर ही चालान जमा कर सकता है । लेखांकन हेतु सिटी कोषालय रायपुर को अधिकृत किया गया है । चालान जमा करने के उपरांत जमाकर्ता को इलेक्ट्रिानिक चालान प्राप्त हो जाता है । यह सुविधा अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एवं एच.डी. एफ.सी. बैंक के माध्यम से प्रदाय की जा रही है । भविष्य में लेखांकन एवं स्क्रालिंग संबंधित कार्य कोषालयों से लिंक कर दिया जावेगा ।

1.5.6 ई-पेमेंट :- भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से संचालककोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिकारी/कर्मचारी का वेतन भुगतान दिनांक 01 नवम्बर 2010 से ई-पेमेंट के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया । इस सुविधा का विस्तार दिनांक 01.01.2011 से समस्त विभागों के लिए किया गया है । इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेतन जमा होने की सूचना शासकीय सेवकों को मोबाईल पर संदेश (Message) की सुविधा बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है । माह जुलाई 2012 से सभी शासकीय विभागों द्वारा प्रदाय कर्ताओं (Contractor/Vendors/Suppliors) को रू. 10,000.00 से अधिक के किये जाने वाले भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में चिकित्सा देयक, प्रत्याशित पेंशन, ग्रेच्युटी देयक, अवकाश नगदीकरण देयक, अंतिम पेंशन, अधिवार्षिकी पेंशन देयक, परिवार पेंशन देयक, बिजली बिल देयक, टेलीफोन देयक, डाक टिकिट देयक, अनुदान देयक, छात्रवृत्ति देयक, त्यौहार अग्रिम देयक, यात्रा भत्ता देयक, जीपीएफ अग्रिम एवं पार्ट फाइनल देयक, जी.आई.एस. देयक एवं एफ.बी.एफ. देयक, एक्सग्रेसिया देयक कोई-बिल के माध्यम से किया जा रहा है ।

1.5.7 साख पत्रों का कम्प्यूटरीकरण :–वित्तीय वर्ष 2013–14 में साख–पत्र व्यवस्था समाप्त करते हुए ई–कोष के माध्यम से ऑनलाईन बजट आबंटन/व्यय आदि का लेखा संधारण किया जा रहा है ।

1.5.8 विभागीय निरीक्षण तथा आंतरिक लेखा परीक्षण :– वर्ष 2013–14 में 02 संभागीय संयुक्त संचालक, 03 जिला कोषालय तथा 01 उपकोषालय तथा 01 लेखा प्रशिक्षण शाला का विभागीय निरीक्षण किया गया ।

1.5.9 लेखा प्रशिक्षण शाला :– वर्ष 2012–13 में लेखा प्रशिक्षण शाला द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कुल 237 परीक्षार्थी शामिल हुए ।

1.5.10 अंशदायी पेंशन योजना :– वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 99,466 शासकीय सेवकों को पंजीकृत किया गया है ।

1.5.11 ऑडिट प्रकोष्ठ :– वर्ष 2013–14 में 02 विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं 01 जिला कार्यालय का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया है ।

भाग–दो

बजट एक दृष्टि में–

बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

(राशि हजार में)

मांग संख्या–.. मुख्य शीर्ष–2049 ब्याज संदाय			
स.क.	**योजना का नाम**	**वर्ष 2013–2014 हेतु प्रावधान**	**व्यय दिसम्बर 2013 तक**
01	4192–शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)	15,00,00	13,69,02
02	4198–शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)	41,85,00	41,34,54
03	4209–शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	6,25,00	5,53,01
04	6802–अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	1,00	0
योग–2049		**63,11,00**	**60,56,57**
मांग संख्या–06–2071 पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ			
01.	6801 राज्य शासन का अंशदान	1,45,00,00	1,12,96,77
मांग संख्या 06–2054–राजकोष और लेखा प्रशासन			
01	2274–निदेशन एवं प्रशासन	11,36,40	6,19,52
02	4307–संभागीय स्थापना	4,81,40	2,66,30

03	3843-लेखा प्रशिक्षण शाला	43,81	30,71
04	5697-कोषालय कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1,80	0
05	1026-खजाना स्थापना	21,34,50	14,65,49
योग-2054		**37,97,91**	**23,82,02**
<u>मांग संख्या 06-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</u>			
01	7000-पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति	20,00	0
<u>मांग संख्या 06-2884-उद्योगो और खनिजो पर अन्य परिव्यय</u>			
01.	4843 - अधोसंरचना विकास निगम	5,30,00	0
<u>मांग संख्या 06-4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी व्यय</u>			
01	1026 खजाना स्थापना	1	0
<u>मांग संख्या 48-2054- राजकोष और लेखा प्रशासन</u>			
01.	7416 तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1,85,00	1,06,91
महायोग-		**2,53,43,92**	**198,42,27**

<u>भाग-तीन</u>

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संचालित समस्त योजना एवं स्थापना व्यय आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत है । राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में न ही कोई स्थापना व्यय है और न ही कोई योजना संचालित है, अत: इसकी जानकारी निरंक है ।

<u>भाग-चार</u>

सामान्य प्रशासनिक विषय-निरंक

<u>भाग-पांच</u>

<u>अभिनव योजना</u>

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग से संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिकारी/कर्मचारी का वेतन भुगतान दिनांक 01 नवम्बर, 2010 से ई-पेमेंट के माध्यम द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया । इस सुविधा का विस्तार दिनांक 01.01.2011 से समस्त विभागों के लिए किया गया है । इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेतन जमा होने की सूचना शासकीय सेवकों को मोबाइल पर संदेश के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है । 01 जुलाई 2012 से इस माध्यम से वेंडर खाते में सीधे राशि अंतरित की जा रही है । आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के चालू खाते में भी ई-पेमेंट के माध्यम से राशि का अंतरण किया जा रहा है ।

<u>भाग-छ:</u>

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन-निरंक

भाग–सात

अन्य विवरण

7.1 जीवन बीमा योजना –

दिनांक 01.11.1974 से शासकीय परिवार कल्याण निधि योजना अनिवार्य रूप से प्रभावशील की गई है तत्पश्चात् म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 01.07.1985 से समूह बीमा योजना प्रभावशील करते हुए यह प्रावधान रखा गया है कि शासकीय सेवक परिवार कल्याण योजना 1974 के सदस्य अपना नकारात्मक विकल्प प्रस्तुत कर पूर्व अनुसार परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य बने रहकर योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अंशदान जमा कराते रहेंगे किन्तु ऐसा विकल्प प्रस्तुत न करने पर वे स्वमेव समूह बीमा योजना, 1985 के अनिवार्य सदस्य होगें तथा अनिवार्य रूप से उनके वेतन समूह बीमा योजना, 1985 के अंतर्गत कटौत्रा किया जावेगा ।

यह योजना संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन है तथा योजनाओं से संबंधित बिन्दुओं पर प्रशासित करना, योजनाओं के अभिलेखों का निरीक्षण करना, योजना के अंतर्गत भुगतान राशि का परीक्षण करना, योजना से संबंधित आय–व्यय के आंकड़े संबंधी संचित अवशेष राशियों पर ब्याज संगणित करना एवं शासन को प्रतिवेदन का कार्य सौंपा गया है । इस विभाग द्वारा कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा जारी किये गये परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना के अधीन स्वीकृति आदेश तथा पात्रता राशि का परीक्षण किया गया और त्रुटि पाये जाने पर संबंधितों को सुधार हेतु लेख किया गया साथ ही चाहे जाने पर उन्हें मार्गदर्शन भी दिया गया । परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना में प्रतिवर्ष जमा राशि पर देय ब्याज राशियों का अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से समायोजन किया जाता है । उक्त योजना के अधीन सिर्फ मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर ही बीमा राशि देय होती है ।

-----000-----

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

भाग–एक

1. सामान्य जानकारी –

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित निगमित एवं अनिगमित स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थाओं आदि के लेखाओं का अंकेक्षण किया जाता है । स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा स्थानीय निकायों के अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला जाता है । प्रतिवेदन में स्थानीय निकाय के आर्थिक स्थिति तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण सम्मिलित करते हुए, दृष्टिगत वित्तीय अनियमितताओं एवं महत्वपूर्ण आपत्तियों का समावेश किया जाता है ।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 (31 दिसबंर 2013 तक) की अवधि में, जिन स्थानीय निकायों के लेखाओं की पश्चातवर्ती संपरीक्षा संपादित की गई है, उनकी आर्थिक स्थिति एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का सारांशीकृत विवरण दिया गया है । अनियमितताओं के संबंध में समय–समय पर विशेषत: निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रधान अधिकारियों के साथ विचार विमर्श पश्चात् विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास किये जाते है ।

2. स्थानीय निधि संपरीक्षा का प्रशासकीय ढांचा –

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरबा एवं कोरिया में स्थापित है । संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये कुल 356 पदों का सृजन किया गया है । जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क	कार्यालय	कुल पद संख्या
1	संचालनालय, रायपुर	43
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	75
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	55
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	42
5	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव	67
6	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	38
7	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरिया	36
कुल पद संख्या		**356**

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2013 की स्थिति में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टीप
1	संचालक	01	01	0	
2	अतिरिक्त संचालक	01	0	01	
3	संयुक्त संचालक	02	02	0	
4	उप संचालक	07	03	04	
5	सहायक संचालक	24	15	09	
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	78	68	10	01 पद प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	01	0	01	..
8	अधीक्षक	01	01	0	..
9	मुख्य लिपिक	02	02	0	..
10	सहायक अधीक्षक	01	01	0	..
11	सहायक ग्रेड 1	01	01	0	01 पद प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
12	स्टेनोग्राफर	01	0	01	..
13	सहायक संपरीक्षक	155	79	76	
14	लेखापाल	01	01	0	..
15	सहायक ग्रेड 2	13	13	0	..
16	डाटा एंट्री ऑपरेटर	07	01	06	..
17	सहायक ग्रेड 3	21	17	04	08 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है
18	स्टेनो टायपिस्ट	05	0	05	..
19	वाहन चालक	0104	05	0	04 पद पर संविदा से कार्यरत है । 01 पद पर कले. दर से कार्यरत है
20	भृत्य	22	14	08	07 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है
21	चौकीदार (अस्थाई)	07	07	0	
योग		**356**	**231**	**125**	..

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के तहत कुल 11116 निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है जिनमें 9734 ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है । स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरबा एवं कोरिया में पदस्थ अमले द्वारा क्षेत्र अंतर्गत स्थित निगमित एवं अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है ।

3. जनकार्य दिवस की स्थिति :-

अ वित्तीय वर्ष 2012-13 की जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

1/4/12 को अवशेष	2012-13 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2012-13 में संपादित कार्य	31/03/2013 को अवशेष
322578	77490	400068	28549	371519

ब वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

1/4/2013 को अवशेष	2013-14 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2013-14 में संपादित कार्य (31.12.2013 तक)	31/12/2013 को अवशेष
371519	76124	447643	26238	421405

4. संपरीक्षा शुल्क :-

अ. 2012-13 से संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

		आंकड़े करोड़ ` में
1	अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष	15.47
2	1/4/2012 से 31/3/2013 तक मांग	2.71
3	कुल मांग मार्च 2013 तक	18.18
4	कुल वसूली मार्च 2013 तक	1.82
5	दिनांक 31.3.2013 को अवशेष	16.36

ब. 2012-13 से संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

		आंकड़े करोड़ ` में
1	1/4/2013 को प्रारंभिक शेष	16.35
2	वर्ष 2013-14 की मांग माह दिसंबर 2013 की स्थिति में	1.45
3	कुल मांग दिसंबर 2013 की स्थिति में	17.80
4	कुल वसूली दिसंबर 2013 की स्थिति में	0.88
5	दिनांक 31.12.2013 को अवशेष	16.92

5. **संपरीक्षा प्रतिवेदन :-**

वर्ष 2012-13 में विभिन्न संस्थाओं/ निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

अ वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार थी:-

1/4/12 को प्रसारण हेतु लंबित प्रति	2012-13 में प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2012-13 में प्रसारित प्रतिवेदन	31/03/2013 को अवशेष
87	485	572	454	118

ब वित्तीय वर्ष 2013-14(दिनांक 31 दिसम्बर 2013 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार है :-

1/4/2013 को अवशेष	2013-14 (माह दिसंबर 2013) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2013-14 में (माह दिसंबर 2013) प्रसारित प्रतिवेदन	31/12/2013 को अवशेष
118	268	386	317	69

6. निराकृत आपत्तियां :-

वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं माह दिसम्बर 2013 की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थी :-

अ वित्तीय वर्ष 2012-13 की स्थिति में :-

अर्थ वर्ष	प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्ति संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	निराकृत आडिट आपत्ति संख्या	अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	सन्निहित राशि
2012-13	216822	9933	226755	485	226270	24315836946

ब वित्तीय वर्ष 2013-14 की स्थिति में :-

अर्थ वर्ष	प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्ति संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	निराकृत आडिट आपत्ति संख्या	अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	सन्निहित वर्ष
2013-14	226270	7605	233875	975	232900	28540203536

7. **स्थानीय निकायों के आय-व्यय** -

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिन निकायों की संपरीक्षा की गई उनके आय-व्यय के आंकड़े निम्नानुसार रहे:-

अ	वित्तीय वर्ष 2012-13 की स्थिति में :-		
	आय	-	38441387811
	व्यय	-	32035812123
ब.	वित्तीय वर्ष 2013-14 (दिसंबर 2013) की स्थिति में		
	आय	-	23981662313
	व्यय	-	16056848956

8. प्रभक्षण :-

लेखा नियमों में अवहेलना तथा स्थानीय निधि के उचित समय में शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :-

दिनांक 31.12.2013 तक प्रकरणों की संख्या	प्रकरण में सन्निहित राशि
1704	60084613

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष में प्रभक्षण से संबंधित प्रमुख आपत्तियों का उदाहरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	**निकाय का नाम**	**वर्ष**	**कंडिका क.**	**विवरण**	**राशि**
1	ग्रा.पं. गिरवर ज.पं. गौरेला	2006-07 से 2011-12	-	बैंक से आहरित राशि को केश बुक में प्रविष्टि कम/नहीं की जाकर	93600
2	नगर पंचायत मल्हार	2010-11 से 2011-12	-	विभिन्न मद से प्राप्त राशि बैंक में जमा नहीं किया गया	43500
3	नगर पंचायत मल्हार	2010-11 से 2011-12	-	विभिन्न मद से प्राप्त राशि बैंक पास बुक एवं केश बुक में जमा नहीं किया गया	107094
4	ग्रा.पं. बंशीताल ज.पं. मरवाही	2004-05 से 2007-08	-	नगद राशि प्रभार में पूर्व सरपंच व प्रशासक के द्वारा वर्तमान सरपंच को नहीं देने से	25069
5	ग्रा.पं. निमधा ज.पं. मरवाही	2003-04एवं 2006-07से 2011-12	-	आमबाजार नीलमी व अन्य योजना की राशि ग्राम पं. निधि में जमा नहीं करना	59250

6	ग्रा.पं. निमधा ज.पं. मरवाही	2003–04एवं 2006–07से 2011–12	–	नगद राशि प्रभार में पूर्व सरपंच के द्वारा वर्तमान सरपंच को नहीं देने से	34209
7	ग्रा.पं. ओडाडबरी ज.पं. पंण्डरिया	2003–04 से 2011–12	8	बैंक पास बुक से नकद आहरित राशि कैशबुक में प्रविष्टि न कर प्रभक्षण	27500
8	ग्रा.पं. कोकपुर ज.प. डोगरगांव	2003–04 से 2011–12	4	रसीद बुक से राशि कम जमा एवं जमा नही किये जाने से सभावित प्रभक्षण	242070
9	ग्रा.पं. कोकपुर ज.प. डोगरगांव	2003–04 से 2011–12	6	भूतपूर्व सरपंच/ सचिव द्वारा प्रभार में नही सौंपें जाने से राशि की वसूली अपेक्षित	184286
10	ग्रा.पं. बिरेझर ज.प. दुर्ग	2003–04से 2010–11	4	भूतपूर्व सरपंच से राशि वसूली योग्य	26434
11	न0पं0 विश्रामपुरी	2011–12से 2012–13	–	रसीद बुक से संग्रहित आय का निकाय निधि में जमा अभाव	26325
12	ग्रा0पं0 मारवाड़ी (ज0पं0 नरहरपुर)	2003–04से 2008–09	–	बैंक से नगद आहरित कर रोकपुस्त में प्रविष्टि अभाव	36500
13	ग्रा0पं0 बोदरा (ज0पं0 बस्तर)	2006–07से 2012–13	–	नगद शेष को जमा दर्शित कर बैंक कालम के आय पक्ष में न लिया जाना	25000
14	ग्रा0पं0 कुरना (ज0पं0 नरहरपुर)	2008–09से 2012–13	–	नगद शेष वर्तमान सरपंच को न सौंप कर राशि का प्रभक्षण	46940

9. अधिभार :-

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जो किसी अधिकारी /कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैधानिक व्यय हुआ हो, ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है । ऐसे अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :-

अ. वित्तीय वर्ष 2012–13 की स्थिति में :-

क्र	प्रकरण का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि `	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि
1	अधिभार आरोप पत्र	52	18803886	.	52	18803886
2	अधिभार सूचना	2	107112	.	2	107112
3	अधिभार आदेश	.	.	.	.	.
4	मांग प्रमाण पत्र	.	.	.	.	.

ब. वित्तीय वर्ष 2013-14 (दिनांक 01.04.13 से 31.12.2013) की स्थिति में :-

क्र	प्रकरण का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि `	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि `
1	अधिभार आरोप पत्र	25	2948248	.	25	2948248
2	अधिभार सूचना	11	545655	.	11	545655
3	अधिभार आदेश	.	.	.	.	.
4	मांग प्रमाण पत्र	.	.	.	.	.

महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी :-

संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी कुछ महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

10. क्षति/हानि संबंधी अनियमिततायें :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी क्षति/हानि संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	**निकाय का नाम**	**वर्ष**	**कंडिका क्रमांक**	**अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण**	**सन्निहित राशि**
1	छ.ग. राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड रायपुर	2009-10 से 2010-11	11	मुद्रण कार्य पर व्यय करने से आर्थिक क्षति	3520187
2	पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि. रायपुर छ.ग.	2008-09	06	परीक्षा मद से प्राप्त आय का वि.वि. खाते में जमा नहीं	4766431
3	जि.पं.राजनांदगांव	2011-12	24	योजना मद में प्राप्ति ब्याज बैंक द्वारा वापसी राशि	404704
4	ज.पं. बेरला	2008-09 से 2011-12	5	बियरर चेक से नगद आहरण कर प्रभक्षण संभावित	707500
5	ज.पं. बेरला	2008-09 से 2011-12	7	विकास योजना मद पास बुको में प्राप्त ब्याज की राशि बैंक द्वारा वापिस लिए जाने से क्षति	256133
6	ज.पं. बेरला (मनरेगा)	2008-09 से 2011-12	4	स्थानान्तरण राशि का प्रभक्षण संभावित	3500000
7	ज.पं. बेरला (मनरेगा)	2008-09 से 2011-12	6	स्थानान्तरण राशि का सत्यापन का अभाव	7000000
8	ज.पं. बेरला (मनरेगा)	2008-09 से	12	मनरेगा हेतु फर्नीचर, कम्प्यूटर, वाटर कुलर आदि क्रय में	517507

		2011–12		अनियमितता	
9	न. पा. नि. भिलाई	2010–11	5	प्राप्त धनादेशो का बैंक से अनाहृत/निरस्त होने से क्षति सभावित	408393
10	न. पा. नि. भिलाई	2010–11	18	निविदा से अधिक विज्ञापन बोर्ड लगाने से अर्थिक क्षति	323479
11	न. पा. नि. भिलाई	2010–11	27	निर्धारित सीमा से अधिक ईधन व्यय राशि	1173716
12	न. पा. नि. राजनांदगांव	2009–10	9	मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत दुकानो के आंबटन नही किये जाने से आर्थिक क्षति	374400
13	न. पा. नि. राजनांदगांव	2009–10	10	दुकानों का निर्धारित अवधि पश्चात पुनः अनुबंध नही किये जाने से आर्थिक क्षति	889700
14	न. पा. नि. राजनांदगांव	2009–10	11	दुकानों के आंबटन पश्चात अनुबंध नही किये जाने से आर्थिक क्षति	398400
15	न. पं. छुरिया	2008–09 से 2011–12	14	बिना भुगतान देयक के आहरण	821118
16	न. पं. मारो	2012–13	20	क्रय सामग्री क्रय संबंधी अनियमितताऐं	572359
17	न. पं. मारो	2012–13	27	आयकर, वाणिज्यकर एवं रायल्टी की राशि शासकीय मद में जमा का अभाव	401082
18	न. पं. गंडई	2012–13	13	दुकानो का अनुबंध के अभाव में आर्थिक क्षति	1178100
19	नगर निगम, जगदलपुर	2009–10	7	कालोनाइजर से आश्रय कृषि वसूली के अभाव में क्षति	4461097
20	नगर निगम, जगदलपुर	2009–10	23	ट्रांस्पोर्टनगर निर्माण में विलंब कृषि की वसूली अपेक्षित	1245054
21	नगर पंचायत, बस्तर	2011–12 से 2012–13	15	निविदा में प्राप्त दर से अधिक दर पर भुगतान से क्षति	689330
22	नगर निगम, रायगढ़	2010–11	21	निर्मित दुकान रिक्त होने से आर्थिक क्षति संभावित	711000
23	न.पा.प., जशपुरनगर	2010–11 से 2011–12	7.5	मवेशी बाजार क्षतिपूर्ति राशि शासन से प्राप्त नहीं होने से आर्थिक क्षति	1080000

24	न.पा.प., जशपुरनगर	2010–11 से 2011–12	18	जल प्रदाय सामाग्री/विद्युत सामाग्री क्रय/भुगतान में अनियमितता	5474383
25	न.पा.प., खरसिया	2010–11 से 2011–12	12	अमानत राशि कम जमा कराया जाना	405000
26	न.पा.प., खरसिया	2010–11 से 2011–12	13	अमानत राशि के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित	1260000
27	न.पा.प., खरसिया	2010–11 से 2011–12	18	दुकान नीलामी की उच्चतम बोली की शेष राशि की वसूली अपेक्षित	3196500
28	न.पं., कटघोरा	2010–11 से 2011–12	3.2.1	राशि 50 लाख के विनियोजन में अनियमितता	5000000
29	कृ.उ.मं.स., बरमकेला	2010–11 से 2011–12	6	सड़क निर्माण निधि अधिक प्रदाय करने से मण्डी निधि क्षति	957436
30	कृ.उ.मं.स., सारंगढ़	2007–08 से 2009–10	10	जिला विपणन अधिकारी द्वारा विलम्ब से जमा किये गये मण्डी शुल्क पर ब्याज नहीं लिये जाने से मण्डी समिति को आर्थिक क्षति	3485697
31	जीवन दीप समिति सा. स्वा.केन्द्र मनेन्द्रगढ़ कोरिया	1995–96 से 2011–12	10	आहरित राशि का संभावित दुरूपयोग	914335
32	जीवन दीप समिति सा. स्वा.केन्द्र मनेन्द्रगढ़ कोरिया	1995–96 से 2011–12	21	रसीद बुकों एवं संग्रह पंजी के अभाव में आय राशि के सत्यापन का अभाव एवं राशि की दुरूपयोग की संभावना	4486807
33	नगर पालिका निगम अम्बिकापुर जिला सरगुजा	2008–09 से 09–10	26	अनुदान राशि का दुरूपयोग	1424849
34	जिला पंचायत कोरिया जिला कोरिया	2005–06 से 07–08	19	लॉग बुक/पी.ओ.एल.पंजी के अभाव में निकाय द्वारा विभिन्न वाहनों हेतु क्रय किये गये ईधन की राशि का व्यय संदिग्ध	603607

11. अनावश्यक एवं अनियमित व्यय :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान दृष्टिगत अनावश्यक एवं अनियमित व्यय संबंधी आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क	निकाय का नाम	वर्ष	कंडिका कमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	न. पा.प. तिल्दा नेवरा	2009-10	30	अनुदान राशि से प्राप्त ब्याज का बिजली बिल भुगतान अनियमित	1136782
2	नगर पंचायत भटगांव	2011-12	11	प्लेसमेंट वर्क के नाम पर अनियमित भुगतान	1095956
3	नगर पंचायत बिलाईगढ़	2008-09से 2011-12	15	अनियमित सामग्री क्रय	903381
4	नगर पंचायत पिथौरा	2009-10से 2011-12	12	भुगतान प्रमाणक/नस्ती अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं	2490212
5	जनपद पंचायत कसडोल मनरेगा	2011-12	04	स्वीकृति से अधिक प्रशासकीय व्यय	3457870
6	छ.ग. राज्यकृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड रायपुर छ.ग.	2009-10 से 2010-11	10	खेतिहर महिला मजदूरी हेतु बरसाती क्रय अनियमित	7962500
7	छ.ग. राज्यकृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड रायपुर छ.ग.	2009-10 से 2010-11	13	हार्दिक अभिनंदन प्रकाश न पर अनियमित व्यय	4870816
8	छ.ग. राज्यकृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड रायपुर छ.ग.	2009-10 से 2010-11	15	चाय, नाश्ता, लंच एवं अन्य मदों पर अनियमित व्यय	997747
9	कृ. उ. म. समिति नेवरा	2010-11 से 2011-12	17	सीडग्रेडिगं एवं क्लीनिग मशीन यूनिट की उपयोगिता का अभाव में निरर्थक व्यय	3338287
10	बी.आर.एस.एम. कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (मुंगेली)	2009-10	05	क्रय पर प्रतिबंध के बाद भी सामग्री क्रय अनियमित व्यय	1625592
11	कृषि अनु. सह. अनुदेशक प्रक्षेत्र	2009-10	05	क्रय पर प्रतिबंध के बाद भी सामग्री क्रय अनियमित व्यय	2908530
12	हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि वि.वि. रायपुर छ.ग.	2010-11 से 2011-12	14	बगैर सक्षम स्वीकृति एवं बजट प्रावधान के वाई फाई कनेक्शन कराया जाकर भुगतान अनियमित	1951630
13	हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि वि.वि. रायपुर छ.ग.	2010-11 से 2011-12	15	बगैर निविदा आमंत्रित किये कम्प्यूटर लैव मेन्टेनेंस आउट सौसिंग कार्य में व्यय	1020000

14	जनपद पंचायत तखतपुर	2010–11	10	नगद भुगतान अनियमित	8070284
15	जनपद पंचायत तखतपुर	2010–11	14	जनविज्ञान संरक्षण समिति छ0ग0 को अनियमित भुगतान	1748000
16	जनपद पंचायत तखतपुर	2010–11	24	विभिन्न कार्यो हेतु अनियमित भुगतान	1619863
17	जनपद पंचायत तखतपुर	2010–11	25	सामग्री क्रय भुगतान के भुगतानों पर अनियमितता	1743829
18	जि.पं. राजनांदगांव	2011–12	9	रायल्टी मद से वेतन भत्ते पर अनियमित व्यय	3090721
19	जि.पं. राजनांदगांव (मनरेगा)	2011–12	4	फर्म वी.एम. टेक्नॉलाजी रायपुर को डाटा एन्ट्री कार्य का अनियमित भुगतान	36673213
20	जि.पं. राजनांदगांव (मनरेगा)	2011–12	6	वाहन किराया पर अनियमित व्यय	1057940
21	नगर निगम, जगदलपुर	2008–09	6	शासनादेशों का उल्लंघन कर व्यय	59100000
22	नगर निगम, जगदलपुर	2009–10	14	कर्मचारियों की अंतरिम राहत की राशि बकाया	2477374
23	नगर निगम, जगदलपुर	2009–10	25	मद परिवर्तन कर अनियमित व्यय	7842571
24	नगर निगम, जगदलपुर	2009–10	29	पार्षद निधि से व्यय अनियमित	2281631
25	नगर पंचायत भोपालपटनम	2010–11से 2011–12	7	सफाई एवं मरम्मत पर व्यय अनियमित	954445
26	नगर पंचायत बस्तर	2011–12 से 2012–13	14	व्यय विवरण के अभाव में मध्यान्ह भोजन पर व्यय अनियमित	3058495
27	नगर निगम, रायगढ़	2010–11	36	पेट्रोल/डीजल/आयल का दुरूपयोग संभावित	2684839
28	नगर निगम, रायगढ़	2010–11	42	विद्युत सामाग्री क्रय में अनियमितता, अधिक व्यय की सक्षम स्वीकृति अपेक्षित	1276653
29	न.पा.प., खरसिया	2010–11 से 2011–12	36	शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डो के विपरीत व्यय किया जाना	1933572
30	न.पा.प., खरसिया	2010–11 से 2011–12	63	अग्रिम राशि का संभावित दुरूपयोग	7629075
31	न.पं., धरमजयगढ़	2010–11 से 2011–12	10	पर्यावरण वसूली हेतु ठेकेदार को राशि भुगतान अनियमित	1420780

32	न.पं., धरमजयगढ़	2010–11से 2011–12	19	मस्टर रोल पर नियुक्ति निधि का दुरूपयोग	1138722
33	न.पं., धरमजयगढ़	2010–11से 2011–12	21	सामाग्री क्रय का अनियमित भुगतान	6560745
34	न.पं., धरमजयगढ़	2010–11से 2011–12	24	नगर पंचायत निधि का दुरूपयोग	3134110
35	न.पं., धरमजयगढ़	2010–11से 2011–12	28	अनियमित अग्रिम वितरण निधि का दुरूपयोग	105583400
36	न.पं., धरमजयगढ़	2010–11से 2011–12	31.1	अनुदान मदों का दुरूपयोग	8335855
37	न.पं., कटघोरा	2010–11से 2011–12	8.1	बी.आर.जी.एम. योजना मद का दुरूपयोग	22500000
38	न.पं., कटघोरा	2010–11से 2011–12	8.2	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पर प्राप्ति से अनियमित अधिक व्यय	1444119
39	न.पं., कटघोरा	2010–11से 2011–12	11	जलप्रदाय संधारण कार्यो के भुगतानों मे दर्शित अनियमितता	1170676
40	न.पं., कटघोरा	2010–11से 2011–12	12	वाहनों के डिजल/संधारण में दर्शित अनियमितता	1172950
41	न.पं., कटघोरा	2010–11से 2011–12	13	पानी टेंकर से पानी सप्लाई कार्य में अनियमितता	962135
42	न.पं., कटघोरा	2010–11से 2011–12	15.1	विद्युत सामाग्री क्रय का अनियमित भुगतान	1042075
43	न.पं., कटघोरा	2010–11से 2011–12	16	परिवहन कार्यो के भुगतानों में पाई गई अनियमितता	2868408
44	न.पं., कटघोरा	2010–11से 2011–12	18	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पर प्राप्ति से अधिक व्यय	1444119
45	ज.पं., कांसाबेल	2006–07से 2008–09	13	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का व्यय संदिग्ध	1685677
46	ज.पं., कांसाबेल (मनरेगा)	2006–07से 2008–09	9	प्रशासकीय/आकस्मिक व्यय नियम सीमा से अधिक किया जाना	3415528
47	नगर पालिका निगम अम्बिकापुर जिला सरगुजा	2008–09 से 2009–10	28	निरर्थक व्यय राशि	3089668
48	जिला पंचायत कोरिया जिला कोरिया	2005–06 से 2007–08	34	सुनिश्चित रोजगार योजना /संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनांतर्गत राशि का निश्प्रयोजन, नियम विरूद्ध अन्य बैंक खाते में अन्तरित किया जाना	1000000

12. **स्थापना संबंधी :-**

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शित स्थापना संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क	निकाय का नाम	वर्ष	कंडिका कमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	न. पा.प. तिल्दा नेवरा	2009-10	20	दैनिक वेतन पर श्रमिकों/ कर्मचारियों को कार्य पर रखे जाने से अनियमित भुगतान	1608010
2	नगर पंचायत अभनपुर	2010-11 से 2011-12	40	मस्टररोल में दैनिक वेतन पर श्रमिकों को अनियमित भुगतान	1057870
3	नगर पंचायत राजिम	2010-11 से 2011-12	18	श्रमिको को वेतन का अनियमित भुगतान	1367390
4	नगर पंचायत बिलाईगढ़	2008-09से 2011-12	23	दैनिक वेतन भोगी को वेतन भुगतान अनियमित	437871
5	कृषि उपज मंडी समिति जैजैपुर	2011-12से 2012-13	12	अनियमित व्यय की वसूली बाबत	228373
6	कृषि उपज मंडी समिति जैजैपुर	2011-12 से 2012-13	13	दैनिक वेतन भोगियों की अनियमित नियुक्ति पर राशि की आर्थिक क्षति	700553
7	ज.पं. छुईखदान	2011-12	9	श्री अनिल सिंह आयुर्वेदिक वैद्य की अनियमित नियुक्ति कर अनियमित व्यय	153439
8	न.पा.नि. भिलाई	2010-11	22अ,ब	शसन स्वीकृति के अभाव में निगम अधिकारी/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता एवं वाहन भत्ता अनियमित भुगतान	6498084
9	न.पा.नि. भिलाई	2010-11	23	सक्षम स्वीकृति के अभाव में कार्यभारित/आकस्मिक पदों में वेतन भुगतान अनियमित	5140550
10	न.पा.प. भिलाई चरोदा	2012-13	21	कार्यभारित स्थापना में पद स्वीकृति के अभाव में पदस्थ चार कर्मचारियो का भुगतान अनियमित	682656
11	न.पं. गंडई	2012-13	9	पद स्वीकृति के अभाव में श्रमिक नियोजन कर पारिश्रमिक का अनियमित भुगतान	1504375

12	न.प. परपोड़ी	2012–13	10	पद स्वीकृति के बिना स्थायी प्रवृति के कार्यो हेतु मस्टर रोल में नियमित रूप से श्रमिक रखा जाकर भुगतान	649788
13	न.प. देवकर	2011–12 से 2012–13	10	पद स्वीकृति के बिना स्थायी प्रवृति के कार्यो हेतु मस्टर रोल में नियमित रूप से श्रमिक रखा जाकर भुगतान	1452906
14	न.पं., छुरीकला	2010–11से 2011–12	14	दैनिक वेतन कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान अनियमित	1005629
15	न.पं., कटघोरा	2010–11से 2011–12	21.1	भविष्य निधि अंशदान जमा नहीं किया जाना अनियमित	286600
16	सरगुजा विश्व विद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	2008–09 से 2009–10	15	दैनिक रोजी कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति कर भुगतान	319344

13. निर्माण कार्य संबंधी अनियमिततायें :–

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी निर्माण कार्य संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

क	निकाय का नाम	वर्ष	कंडिका कमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	कृ. उ. म. समिति नेवरा	2010–11 से 2011–12	14	उपमण्डी खरोरा में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य देयकों में त्रुटिपूर्ण गणना के फलस्वरूप अधिक भुगतान	546878
2	जनपद पंचायत तखतपुर	2010–11	13	अपूर्ण निर्माण कार्यो की शेष	21233400
3	न.पा. निगम भिलाई	2010–11	21	शासकीय स्कूल भवनों में स्वीकृति के अभाव में भुगतान अनियमित	1870758
4	न.प. डौडी लोहारा	2011–12से 2012–13	20	साप्ताहिक बाजार में सी.सी. रोड निर्माण में अनियमित भुगतान	1928896
5	न.प. डौडी लोहारा	2011–12से 2012–13	21	वार्ड न. 15 में सी.सी. रोड निर्माण अनियमित एवं वसूली योग्य	646652
6	न.प. डौडी लोहारा	2011–12से 2012–13	24	सी.सी. रोड निर्माण में अनियमित भुगतान	1800100
7	नगर निगम, रायगढ़	2010–11	47	शासकीय भवनों में निगम निधि से बिना बजट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर व्यय अनियमित	827719
8	न.पा.प., जशपुरनगर	2010–11से 2011–12	12.1	अनियमित भुगतान	638169
9	न.पा.प., जशपुरनगर	2010–11	20	लोक निर्माण कार्यो के भुगतानों में	52536039

		से 2011–12		दर्शित अनियमितताएं	
10	न.पा.प., जशपुरनगर	2010–11से 2011–12	20.1	सक्षम स्वीकृति के बिना संपादित निर्माण कार्य राशि	4129844
11	न.पा.प., जशपुरनगर	2010–11से 2011–12	20.2	मुरूमीकरण कार्यो पर अपव्यय	706312
12	न.पा.प., जशपुरनगर	2010–11से 2011–12	20.6	वार्ड 16 हरिजन मोहल्ला में सी.सी. रोड निर्माण पर अनियमित भुगतान	1321685
13	न.पा.प., खरसिया	2010–11से 2011–12	31	सक्षम स्वीकृति के विपरीत कराये गये कार्य की राशि वसुली अपेक्षित	648895
14	न.पा.प., खरसिया	2010–11 से 2011–12	33	सक्षम स्वीकृति के विपरीत कम कार्य कराकर अधिक व्यय की गई राशि वसुली अपेक्षित	878675
15	न.पा.प., खरसिया	2010–11 से 2011–12	35	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अंतर्गत ट्रेक्टर लोडर क्रय पर स्वीकृत/निर्धारित राशि से अधिक व्यय राशि वसूली अपेक्षित	738500
16	न.पा.प., खरसिया	2010–11 से 2011–12	37	बिना सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति एवं दर स्वीकृति के राशि का व्यय किया जाना	1301572
17	न.पा.प., खरसिया	2010–11 से 2011–12	39	बंधवा तालाब पार में सीमेंट कांक्रीट रोड, फुटपाथ एवं रैलिंग निर्माण कार्य में सक्षम स्वीकृति के विपरीत कराये गये कार्य की राशि वसुली अपेक्षित	757037
18	न.पा.प., खरसिया	2010–11 से 2011–12	42	बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण कार्य की प्रकृति बदल कर अनियमित एवं अनाधिकृत व्यय	3027709
19	न.पं., धरमजयगढ़	2010–11से 2011–12	25	मुरूमीकरण कार्य द्वारा निधि का दुरूपयोग	733561
20	न.पं., धरमजयगढ़	2010–11से 2011–12	25.1	कार्यालय/शापिंग काम्पलेक्स निर्माण में अनियमित भुगतान	1028369
21	न.पं., धरमजयगढ़	2010–11से 2011–12	25.2	सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण में अनियमितता	797564
22	न.पं., धरमजयगढ़	2010–11से 2011–12	25.3	अनियमित निर्माण कराया जा कर निधि का दुरूपयोग	1459134
23	न.पं., छुरीकला	2010–11 से 2011–12	18	मेसर्स मारूति कन्सट्रक्शन कंपनी द्वारा प्रदायित निर्माण सामाग्री का बिल नहीं होने से क्रय संदिग्ध	700407
24	न.पं., कटघोरा	2010–11	8.4	पार्षद निधि का लेखा संधारित नहीं	1251598

		से 2011–12		रखे जाने से मद का दुरूपयोग संभावित	
25	न.पं., कटघोरा	2010–11 से 2011–12	9.1	बी.आर.जी.एफ. योजनांतर्गत वार्ड 12 में विद्युतिकरण कार्य के भुगतान में अनियमित भुगतान	2491502
26	न.पं., कटघोरा	2010–11से 2011–12	9.3	अधोसंरचना योजनांतर्गत नाला निर्माण पर निरर्थक व्यय	1654668
27	न.पं., कटघोरा	2010–11से 2011–12	9.6	हाट–बाजार निर्माण में अनियमितता	1095104
28	न.पं., कटघोरा	2010–11से 2011–12	9.7	सांस्कृतिक भवन निर्माण में अनियमितता	760851
29	न.पं., कटघोरा	2010–11 से 2011–12	9.8	वार्ड 3 मेन रोड से सरस्वती शिशु मंदिर तक सड़क के दोनो ओर कटाव रोकने हेतु पत्थर पिंचिग कार्य	1144638
30	न.पं., पत्थलगांव	2010–11से 2011–12	9	निर्माण कार्यो पर उपकर कटौती/जमा नहीं पाया जाना	1151452
31	न.पं., पत्थलगांव	2010–11से 2011–12	12	निर्माण कार्य के भुगतानों में अनियमितता	2902043
32	न.पं., पत्थलगांव	2010–11से 2011–12	13	कार्यो का अंतिम मूल्यांकन के बिना भुगतान अनियमित	8111000
33	ज.पं., करतला	2011–12	9	मुल्यांकन से अधिक प्रदाय राशि समायोजन/वसूली अपेक्षित	1276412
34	ज.पं., कांसाबेल	2006–07 से 2008–09	14.1	योजनाओं से प्राप्त राशि का अनियमित रूप से अधिक व्यय किया जाना	7903443

14. कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली अपेक्षितः–

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा प्रतिवेदन में निकायों द्वारा कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली तत्परतापूर्वक यथासमय नहीं किये जाने से कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली भारी मात्रा में बकाया है । विवरण निम्नानुसार है :–

क	निकाय का नाम	वर्ष	कंडिका कमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	नगर पंचायत अभनपुर	2010–11से 2011–12	41	शासनादेश के अभाव में प्लेसमेसंट एजेंसी को भुगतान	2441371
2	नगर पंचायत कुरूद जिला–धमतरी	2011–12से 2012–13	05	करों व किराया वसूली बकाया	4295523
3	नगर पालिका धमतरी	2011–12	07	कर बकाया	17247000
4	नगर पालिका धमतरी	2010–11	05	करों की बकाया	9129000
5	नगर पालिका धमतरी	2010–11	06	दुकान किराया बकाया	2964000

6	नगर पंचायत बिलाईगढ़	2008–09से 2011–12	05	बकाया मांग	1050516
7	नगर पालिका तिल्दा नेवरा	2009–10	07	करों का बकाया	2651000
8	नगर पंचायत पिथौरा	2009–10से 2011–12	11	कर/किराया बकाया	5818090
9	कृषि उपज मण्डी समिति भाटापारा	2009–10से 2011–12	05	मण्डी कृषि बकाया	40637106
10	कृषि उपज मण्डी समिति नेवरा	2010–11से 2011–12	07	बकाया मण्डी शुल्क	25286485
11	कृषि उपज मण्डी समिति बसना	2011–12	05	बकाया मण्डी शुल्क	1875947
12	कृषि उपज मण्डी समिति नवापारा	2010–11से 2011–12	05	मण्डी कृषि बकाया	10972512
13	कृषि उपज मण्डी समिति महासमुंद	99–2000से 2000–01	08	अनुज्ञा पत्र सत्यापन के अभाव में मण्डी कृषि बकाया	1298022
14	कृषि उपज मण्डी समिति महासमुंद	2001–02से 2003–04	04	मण्डी कृषि बकाया	1457606
16	कृषि उपज मण्डी समिति गरियाबंद	2011–12से 2012–13	05	मण्डी कृषि बकाया	32057464
17	ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यलय एवं अनुसंधान केन्द्र सरकण्डा फार्म बिलासपुर छ0ग0	2011–12 से 2012–13	9	महाविद्यालयों से परीक्षा आवेदन फार्म की की राशि प्राप्ति अपेक्षित	4201034
18	ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यलय एवं अनुसंधान केन्द्र सरकण्डा फार्म बिलासपुर छ0ग0	2011–12 से 2012–13	11	प्रौद्योगिकी संस्थान के शिक्षण शुल्क	14787314
19	ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यलय एवं अनुसंधान केन्द्र सरकण्डा फार्म बिलासपुर छ0ग0	2011–12 से 2012–13	13	प्रौद्योगिकी संस्थान की कांउसलिंग शुल्क अपेक्षित	1900000
20	कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर	2012–13	5	बकाया मंडी शुल्क की राशि की वसूली अपेक्षित	12745316

21	कृषि उपज मंडी समिति सक्ती	2011–12	5	बकाया मंडी शुल्क राशि की वसूली अपेक्षित	17654840
22	कृषि उपज मंडी समिति सक्ती	2011–12	6	विलंब से जमा मंडी शुल्क पर ब्याज राशि वसूली अपेक्षित	1193061
23	कृषि उपज मंडी समिति सक्ती	2012–13	6	मंडी शुल्क बकाया वसूली अपेक्षित	17097526
24	कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर	2012–13	6	बकाया मंडी शुल्क की राशि वसूली अपेक्षित	15814159
25	कृषि उपज मंडी समिति जैजैपुर	2011–12से 2012–13	6	मंडी शुल्क पर विलम्ब ब्याज	2162207
26	कृषि उपज मंडी समिति जैजैपुर	2011–12से 2012–13	19	मंडी शुल्क की राशि की वसूली अपेक्षित	27583115
27	कृषि उपज मंडी समिति नैला जांजगीर	2011–12से 2012–13	4	बकाया मंडी शुल्क	49066333
28	कृषि उपज मंडी समिति अकलतरा	2012–13	4	बकाया मंडी शुल्क की राशि वसूली अपेक्षित	34374378
29	कृषि उपज मंडी समिति अकलतरा	2012–13	7	छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन मर्यादित जांजगीर से जमा मंडी शुल्क पर ब्याज राशि वसूल नहीं किया जाना	1092290
30	जनपद पंचायत मुंगेली	2011–12	8	जिला पंचायत बिलासपुर से प्रशासनिक व्यय की प्राप्ति अपेक्षित	1006328
31	जनपद पंचायत डभरा	2009–10से 2010–11	17	कार्यशील पूंजी वसूली वांछित	1183800
32	नगर पंचायत बलौदा	2009–10से 2011–12	5	बकाया मांग की वसूली वांछित	2793138
33	नगर पंचायत सकरी	2011–12	22	बकाया मांग वसूली अपेक्षित	1237008
34	ज.पं. दुर्ग	2011–12	15	प्रशासनिक व्यय की 2 प्रतिशत प्रतिपूर्ति वांछित	2255280
35	ज.पं. दुर्ग	2011–12	20	जिला पंचायत दुर्ग से आबंटन प्राप्त किये बिना ही भुगतान राशि	1139000
36	ज.पं. बेमेतरा	2011–12	7	भूतपूर्व सरपंच/सचिव से वसूली वांछित	1271904
37	ज.पं. बेमेतरा	2012–13	21	सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकान कार्याशील पूंजी जमा का अभाव	1468102
38	न.पा.नि. भिलाई	2010–11	7	बी.एस.पी. प्रबंधन से संपत्ति कर वसूली शेष	128292927

39	न.पा.नि. भिलाई	2010–11	8	बी.एस.पी. प्रबंधन से समेकित कर बकाया	108741140
40	न.पा.नि. भिलाई	2010–11	10	आकाशगंगा सब्जी मंडी में आबंटित चबूतरो की प्रब्याजी एवं किराया वसूली शेष	18210872
41	न.पा.नि. भिलाई	2010–11	11	दुकानो का किराया निर्धारण/वसूली अपेक्षित	5386781
42	न.पा.नि. भिलाई	2010–11	12	आकाशगंगा दुकानो का किराया यथा समय वृद्वि नही किये जाने से आर्थिक क्षति	4607875
43	न.पा.नि. भिलाई	2010–11	13	लंबी अवधि से संपत्तिकर एवं समेकित कर वसूली नही किये जाने से आर्थिक क्षति	1841574
44	न.पा.नि. भिलाई	2010–11	17अ	अवैध टावरो से अनुज्ञा एवं नवीनीकरण कृषि वसूली के अभाव में आर्थिक क्षति	5220000
45	न.पा.प. भिलाई चरोदा	2012–13	6	भू भाटक वसूली का अभाव	4667609
46	न.पा.प. भिलाई चरोदा	2012–13	12	भू भाटक एवं प्रब्याजी की बकाया वसूली योग्य	10463285
47	न.पा.प. भिलाई चरोदा	2012–13	13	समेकित कर बकाया	6254000
48	न.पा.प. भिलाई चरोदा	2012–13	14	संपत्तिकर बकाया	1727000
49	न.पा.प. भिलाई चरोदा	2012–13	15	जल कर बकाया	2660000
50	न.पं. धमधा	2012–13	8	समेकित कर बकाया	1259746
51	न.पं. धमधा	2012–13	9	जल कर बकाया	1537955
52	न.पं. गण्डई	2012–13	8	करो का बकाया	2119088
53	न.पं. गण्डई	2012–13	12	केबल लाईन बिछाने की अनुमति एवं नवीनीकरण कृषि वसूली योग्य	2096900
54	कृ.उ.म.स.कवर्धा	2011–12	11	भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्या.द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के व्यपार अनियमित तथा शेष मंण्डी कृषि बकाया वसूली योग्य	13131044
55	कृ.उ.म.स.कवर्धा	2011–12	13 (अ)	मंण्डी कृषि बकाया राशि वसूली योग्य	22922100
56	कृ.उ.म.स.कवर्धा	2011–12	13 (ब)	निराश्रित बकाया वसूली योग्य	2329650
57	कृ.उ.म.स.राजनांदगांव	2012–12	11	विभिन्न दुकानों का किराया बकाया	2434932
58	कृ.उ.म.स.डोगरगढ.	2011–12से 2012–13	6	मंण्डी कृषि बकाया	16837430

59	कृ.उ.म.स.पंण्डरिया	2012–13	6	मंण्डी कृषि बकाया	12789598
60	कृ.उ.म.स.डोगरगांव	2011–12से 2012–13	7	मंण्डी कृषि बकाया	29839253
61	नगर निगम, जगदलपुर	2008–09	10	वैट कटौती का अभाव	5116000
62	नगर निगम, जगदलपुर	2008–09	11	अंतरिम राहत की वसूली शेष	1818000
63	नगर निगम, जगदलपुर	2008–09	30	विभिन्न करों की वसूली बकाया	14400000
64	नगर निगम, जगदलपुर	2008–09	31	जलकर की राशि बकाया	2960000
65	नगर निगम, जगदलपुर	2008–09	10	संपत्तिकर, समेकित कर दुकान किराया बकाया	9066000
66	नगर निगम, जगदलपुर	2008–09	17	वैट कटौती का अभाव	2370000
67	नगर निगम, जगदलपुर	2008–09	18	लेबर उपकर कटौती का अभाव	1092000
68	नगर पंचायत, सुकमा	2011–12से 2012–13	8	विभिन्न करों की राशि वसूली हेतु बकाया	2015000
69	नगर पंचायत नरहरपुर	2011–12से 2012–13	8	संपत्तिकर समेकित कर जलकर बकाया	1376000
70	न0पा0प0 बचेली	2011–12से 2012–13	10	विभिन्न करों की वसूली अपेक्षित	1004000
71	नगर पंचायत पखांजूर	2011–12से 2012–13	25	रायल्टी कटौती की राशि शासन निधि में जमा अभाव	1097775
72	नगर पंचायत बस्तर	2011–12 से 2012–13	28	आयकर, वा0कर, लेबर उपकर कटौती का शासन निधि मे जमा अभाव	1224811
73	नगर निगम, रायगढ़	2010–11	7	दुकान प्रिमीयम बकाया	19624841
74	नगर निगम, रायगढ़	2010–11	8	दुकान किराया वसूली में शिथिलता से बकाया	1840394
75	नगर निगम, रायगढ़	2010–11	9	मुख्य मंत्री स्वालंबन योजना अंतर्गत निर्मित दुकानों का आबंटन एवं बकाया किराया वसूली अपेक्षित	4589667
76	नगर निगम, रायगढ़	2010–11	17	बंसल बिल्डर्स से कालोनी विकास में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित भूमि के एवज में आश्रय शुल्क कम निर्धारण से क्षति	2096399
77	नगर निगम, रायगढ़	2010–11	20	भारतीय दुरसंचार निगम से वायर केबल बिछाने हेतु खनन कार्य की क्षति पूर्ति राशि कम प्राप्ति से निगम निधि को क्षति	1547000
78	नगर निगम, रायगढ़	2010–11	24	अवैध नल कनेक्शन को वैध	1045200

				करने की राशि वसूली अपेक्षित	
79	न.पा.प., जशपुरनगर	2010-11 से 2011-12	7.4	बकाया दूकान किराया वसूली वांछित बकाया	1051611

15. दायित्व निर्वहन में शिथिलता :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि स्थानीय निकायों द्वारा दायित्व निर्वहन में शिथिलता बरती जा रही है । जिससे निकायों के दायित्व में सतत् वृद्धि होती जा रही है । दायित्व निर्वहन में शिथिलता से संबंधित उदाहरण निम्नानुसार है :-

क	निकाय का नाम	वर्ष	कंडिका कमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	नगर पंचायत बिलाईगढ़	2008-09से 2011-12	25	ठेकेदार के देयक से काटी गयी राशि	850911
2	छ.ग. राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड रायपुर	2009-10से 2010-11	36	रायल्टी जमा हेतु बकाया	8283378
3	कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर	2012-13	8	बोर्ड शुल्क की बकाया राशि जमा किया जाना अपेक्षित	2054327
4	कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर	2012-13	9	विकास निधि की बकाया राशि जमा किया जाना अपेक्षित	6731893
5	कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर	2012-13	2	स्थायी निधि में राशि जमा किया जाना अपेक्षित	3101971
6	कृषि उपज मंडी समिति सक्ती	2011-12	13	स्थायी निधि में राशि जमा किया जाना अपेक्षित	2070500
7	कृषि उपज मंडी समिति सक्ती	2012-13	15	बोर्ड शुल्क की राशि जमा किया जाना अपेक्षित	893087
8	कृषि उपज मंडी समिति सक्ती	2012-13	16	सड़क विकास निधि की राशि जमा किया जाना अपेक्षित	1142981
9	कृषि उपज मंडी समिति सक्ती	2012-13	18	स्थायी निधि में राशि जमा किया जाना अपेक्षित	2696775
10	कृषि उपज मंडी समिति जैजैपुर	2011-12 से 2012-13	22	कृषि अनुसंधान /सड़क विकास निधि का बकाया राशि भेजा जाना अपेक्षित	914362
11	कृषि उपज मंडी समिति नैला जांजगीर	2011-12से 2012-13	7	बकाया विकास निधि	129395
12	जनपद पंचायत मुंगेली	2011-12	18	योजना मद की राशि का मदान्तरण किया जाना	1000000
13	जनपद पंचायत मुंगेली	2011-12	19	योजना मदों में प्राप्त ब्याज जनपद पंचायत निधि हेतु	695238

				किये जाने संबंधी अनियमितता	
14	जनपद पंचायत मुंगेली	2011–12	20	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय	908258
15	जनपद पंचायत डभरा	2009–10से 2010–11	9	मद परिवर्तन पर अनियमित भुगतान	1127683
16	जनपद पंचायत तखतपुर	2010–11	26	योजना मद /मदों की राशि को व्यय नहीं किया जाना	277267582
17	जनपद पंचायत नवांगढ़	2012–13	9	बैंक पासबुक में डेबिस की गई राशि रोकड़ बही व चेक पंजी में प्रविष्टि न किया जाना राशि	2829872
18	जनपद पंचायत गौरेला	2011–12	12	पासबुक में जमा राशि की प्रविष्टि की रोकड़ बही में नहीं होना	5062059
19	जनपद पंचायत गौरेला	2011–12	13	रोकड़ बही में जमा राशि आहरण की प्रविष्टि पासबुक में नहीं होना	4000735
20	नगर पंचायत बलौदा	2009–10 से 2011–12	25	संचालक के बिना स्वीकृति के संचित निधि की राशि आहरण कर व्यय किया जाना	1024536
21	नगर पंचायत बलौदा	2009–10से 2011–12	26	बिना सक्षम स्वीकृति के मदान्तरण किया जाना	999170
22	नगर पंचायत सकरी	2011–12	24	ठेका अनुसार से किये गये भुगतानों का सत्यापन अप्राप्त	915716
23	नगर पंचायत नवागढ़	2010–11 से 2011–12	23	समाज कल्याण योजना अन्तर्गत विभिन्न पेंशनों हेतु प्राप्ति तथा व्यय का विवरण व्यवस्थित न रखा जाना	1140200
24	ज.पं. दुईखदान	2011–12	7	योजनामद केश बुक एवं पास बुक शेष में अंतर	9799234
25	ज.पं. पाटन	2011–12	12	मदो का स्थानान्तरण की सक्षम सवीकृति की अभाव (मदों का विचलन)	5000000
26	कृ.उ.म.स.कवर्धा	2011–12	6	बोर्ड कृषि भेजा जाना शेष	1315819
27	नगर निगम, रायगढ़	2010–11	2.1	विभिन्न मदों में बजट प्रावधान से अधिक व्यय	7284350
28	नगर निगम, रायगढ़	2010–11	11	फर्जी चैक के आधार पर ट्रान्सपोर्ट नगर दुकान की निलामी में भाग लिया जाना	1462500
29	नगर निगम, रायगढ़	2010–11	18	कालोनाईजर्स चिड़ीपाल बिल्डर्स एवं कान्ट्रेक्टर के	2026670

				कालोनी विकास में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित भूमि के एवज में आश्रय शुल्क जमा कराया जाकर भूमि मुक्त किया जाना अनियमित	
30	न.पा.प., जशपुरनगर	2010–11 से 2011–12	4.2	प्रा. शेष राशि के मदों का विवरण अस्पष्ट रखे जाने से मदों का दुरूपयोग संभावित	13342472
31	न.पं., कटघोरा	2010–11 से 2011–12	5	उपकर/आयकर/वाणिज्य मदों में जमा नहीं किया जाना दुरूपयोग	1193478
32	न.पं., पत्थलगांव	2010–11 से 2011–12	3.1	बैंक खाते अनुसार कैश बुक/चैक पंजी में दर्ज नही होने से संभावित दुरूपयोग	801445
33	कृ.उ.मं.स., बरमकेला	2010–11 से 2011–12	9	सुरक्षित निधि जमा न किया जाना	4132480
34	ज.पं., करतला	2011–12	10	योजना मदों से अग्रिम प्रदाय राशि का समायोजन/वसूली अपेक्षित	1340000
35	ज.पं., करतला (मनरेगा)	2011–12	7	मुल्यांकन से अधिक प्रदाय राशि समायोजन/वसूली अपेक्षित	1175396
36	ज.पं., कोरबा	2007–08 से 2009–10	6	जारी किये गये धनादेशों की प्रविष्टि रोकड़ बही में न किये जाने संबंधी गंभीर अनियमितता	9701761
37	ज.पं., कोरबा	2007–08 से 2009–10	7	विभिन्न बैंको द्वारा जनपद पंचायत कोरबा को प्राप्त बैंक ब्याज की राशि का रोकड़ बही में प्रविष्टि न किया जाना समायोजन अपेक्षित	2020929
38	ज.पं., कोरबा	2007–08 से 2009–10	12	रोकड़ बही में प्रविष्टि प्राप्त आय के बैंक जमा का मिलान बैंक पास बुक/स्टेटमेंट न होना निराकरण अपेक्षित	16131000
39	ज.पं., कोरबा (मनरेगा)	2007–08 से 2009–10	12	आय तथा व्यय के संबंध मे स्थिति अस्पष्ट	2000000
40	सरगुजा विश्व विद्यालय	2008–09	21	सामग्री क्रय संबंधी नस्ती,	6774213

	अम्बिकापुर जिला सरगुजा	से 2009–10		स्कंद पंजी एवं भौतिक सत्यापन संबंधी अभिलेख अनुपलब्ध	
41	जीवन दीप समिति सा.स्वा. केन्द्र मनेन्द्रगढ़ कोरिया	1995–96 से 2011–12	18	अनुपलब्ध व्यय प्रमाणक	1082478

16. ग्राम पंचायतों के संबंध में विशेष :–

वित्तीय वर्ष 2012–13 में 50 ग्राम पंचायतों के कुल लेखा वर्ष 207 वर्षों के अंकेक्षण किया गया एवं वर्ष 2013–14 में 96 ग्राम पंचायतों के कुल लेखा वर्ष 320 वर्षों के अंकेक्षण किया गया।

स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण प्रारंभ किये जाने के बाद प्राय: प्रतिवेदनों में आपत्तियां दृष्टिगत हुई कि भूतपूर्व सरपंच/पदाधिकारियों द्वारा नगद राशि अनियमित रूप से रखा जाना तथा वर्तमान सरपंच द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 के नियम 18 अनुसार नगद सिलक की निर्धारित सीमा रू 2500.00 से अधिक रखा जाना पाया गया है । प्रभार हस्तांतरण में नगद राशि हस्तांतरित नहीं किये जाने एवं निर्धारित सीमा से अधिक नगद रखे जाने से दुर्विनियोजन की प्रबल संभावना होती है । इस प्रकार की आपत्तियां एवं ग्राम पंचायतों के अंकेक्षण में प्रकाश में आई अन्य महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

क	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष	कंडिका कमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	ग्राम पंचायत घोड़ारी जनपद पंचायत महासमुंद	2008–09से 2010–11	19	राशि आहरण कर कम भुगतान	415211
2	ग्राम पंचायत बेलरगांव, नगरी	2012–13	04	आरोपित करों की बकाया	429368
3	ग्राम पंचायत दरगहन, धमतरी	2006–07से 2011–12	16	अनुपलब्ध प्रमाणक	443328
4	ग्राम पंचायत टुण्डरी, बिलाईगढ़	2005–06से 2010–11	16	अन्य अनियमितता	1285405
5	ग्राम पंचायत सरकड़ा, फिंगेश्वर	2008–09 से 2011–12	15	हार्दिक अभिनंदन विज्ञापन प्रकाश न पर अनियमित व्यय	55500
6	ग्राम पंचायत सूमा, भाटापारा	2007–08से 2010–11	04	मूल्यांकन प्रतिवेदन का अभाव	650619
7	सिंवार, जं पं बेरला जिला बेमेतरा	2003–04 से 2011–12	12	मध्यान्ह भोजन एवं पूरक पोषण आहार हेतु राशि का सामग्री क्रय में संदिग्ध भुगतान	558400
8	अकोली, जं पं बेरला	2008–09	12	मध्यान्ह भोजन योजना हेतु	398535

	जिला बेमेतरा	से 2011-12		सामग्री क्रय में संदिग्ध भुगतान	
9	जंतर, ज. पं. डोंगरगांव जिला राजनांदगांव	2003-04से 2011-12	12	बिना सक्षम स्वीकृति के आबंटन से अधिक व्यय	245478
10	सोढ़, ज. पं. बेरला, जिला बेमेतरा	2007-08से 2011-12	18	अनुदान आबंटन से अधिक व्यय की वसूली योग्य	103518
11	अरसी, जं पं. धमधा जिला दुर्ग	2003-04से 2004-05	10	फण्ड विचलन	250394
12	बन्दौरा ज.पं. कवर्धा जिला कबीरधाम	2011-12	5	मस्टर रोल में गड़बड़ी की आंशका पंचायत द्वारा निर्माण कार्य संबधी किया गया भुगतान संदिग्ध	389600
13	बन्दौरा ज.पं. कवर्धा जिला कबीरधाम	2011-12	8	भाव पत्र/ निविदा आंमत्रित किये बिना सामग्री क्रय किया जाना अनियमित	490600
14	थनौद ज.प. दुर्ग जिला दुर्ग	2003-04 से 2010-11	15	जनकल्याण कारी योजनाओं में प्राप्त आंबटन की शेष राशि का वितरण अपेक्षित	215906
15	चंगोरी वि.ख. दुर्ग जिला दुर्ग	2008-09से 2010-11	10	निर्माण कार्य संबधी अनियमिता	928165
16	चंगोरी वि.ख. दुर्ग जिला दुर्ग	2008-09 से 2010-11	11	जनकल्याण कारी योजनाओं में प्राप्त आंबटन की शेष राशि का वितरण अपेक्षित	537002

17. राजस्व मांग वसूली :-

विभाग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष 2013-14 में संपरीक्षित निकायों में करों एवं शुल्कों की मांग वसूली विभिन्न संपरीक्षित वर्षो तथा संस्थाओं में उपलब्ध जानकारी अनुसार वर्ष 2012-13 में राशि ` 657283371.00 तथा वर्ष 2013-14 में राशि ` 921528739.00 (दिनांक 31 दिसम्बर 2013 तक) वसूली हेतु शेष थी ।

18. अग्रिम :-

अ. वित्तीय वर्ष 2012-13 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ` 879509765.00 का अग्रिम समायोजन/वसूली हेतु थी ।

ब. वित्तीय वर्ष 2013-14 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ` 326096199.00 समायोजन/वसूली हेतु शेष है ।

वित्तीय नियमों का समुचित पालन नहीं किये जाने से अग्रिमों का समायोजन होना नहीं पाया गया। विभिन्न निकायों कें विभिन्न वर्षो में अधिकारी/कर्मचारी/अन्य संस्थाओं की ओर समायोजन हेतु शेष अग्रिम के उदाहरण निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	समायोजन हेतु शेष राशि
1	ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यलय एवं अनुसंधान केन्द्र सरकण्डा फार्म बिलासपुर छ0ग0	2011-12 से 2012-13	3130978
2	ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यलय एवं अनुसंधान केन्द्र सरकण्डा फार्म बिलासपुर छ0ग0	2011-12 से 2012-13	45232829
3	कृषि उपज मंडी समिति सक्ती	2011-12	244655
4	कृषि उपज मंडी समिति सक्ती	2012-13	252336
5	कृषि उपज मंडी समिति जैजैपुर	2011-12 से 2012-13	160500
6	जनपद पंचायत मरवाही	2011-12	173900
7	जनपद पंचायत मुंगेली	2011-12	700000
8	जनपद पंचायत गौरेला	2011-12	920000
9	नगर पालिक निगम, जगदलपुर	2008-09	4671000
10	नगर पालिक निगम, जगदलपुर	2009-10	7506000
11	नगर पंचायत, सुकमा	2011-12 से 2012-13	214000
12	नगर पंचायत, दंतेवाड़ा	2011-12	1331000
13	नगर पंचायत, केशकाल	2011-12	1400000
14	नगर पालिका परिषद, बचेली	2011-12 से 2012-13	818603
15	नगर पंचायत, बस्तर	2011-12 से 2012-13	735800
16	जनपद पंचायत, जगदलपुर	2006-07 से 2011-12	345200
17	नगर पालिक निगम, रायगढ़	2009-10	14985966
18	नगर पालिका परिषद,खरसिया	2010-11	7629075
19	नगर पंचायत, पत्थलगांव	2010-11 से 2011-12	376000
20	नगर पंचायत, धरमजयगढ़	2010-11 से 2011-12	1149305
21	नगर पंचायत, कटघोरा	2010-11 से 2011-12	402526
22	नगर पंचायत, छुरीकला	2010-11 से 2011-12	270350
23	जनपद पंचायत, सारंगढ़	2005-06 से 2007-08	469650
24	जनपद पंचायत, कोरबा	2007-08 से 2009-10	245056
25	जनपद पंचायत, कांसाबेल	2006-07 से 2008-09	7903443
26	सरगुजा विश्व विद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	2008-09 से 2009-10	6276401
27	नगर पालिका परिषद् शिवपुर चरचा जिला कोरिया	2012-13	213038

19. ऋण :-

अ. वित्तीय वर्ष 2012-13 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ` 1171450577.00 ऋण शेष थी।

ब. वित्तीय वर्ष 2013-14 की स्थिति में (दिनांक 31 दिसम्बर 2013 तक) विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ` 667475665.00 ऋण शेष है ।

20. अनुदान :-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों को शासन/विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त अनुदान में से कुल राशि ` 5709464745.00 अवशेष होना पाया गया । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2013-14 (दिनांक 01.04.13 से 31.12.2013) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर को कुल राशि ` 5552386955.00 का अनुदान अवशेष होना पाया गया।

21. निक्षेप :-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि ` 639258797.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 (दिनांक 01.04.13 से 31.12.2013) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि ` 584659193.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया ।

भाग - दो

बजट :-

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा वर्ष 2013-14 के लिये राशि ` 16.84 करोड़ आबंटित किया गया । आबंटित बजट में से दिनांक 31 दिसम्बर 2013 तक कुल राशि ` 7.78 करोंड़ व्यय हुआ है ।

भाग - तीन

1. निरीक्षण :-

संचालनालय के अधीन स्थानीय निकायों में पश्चातवर्ती संपरीक्षा दल के कार्यो का समय-समय पर सहायक संचालक द्वारा निरीक्षण पर्यवेक्षण की जाती है । इसके अतिरिक्त संचालक के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है ।

2. पर्यवेक्षण :-

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विभिन्न स्तरीय निकायों की विभिन्न वर्षो की लेखाओं की संपरीक्षा की गई तथा जिसमें से अधिकांशत: निकायों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया ।

3. अंकेक्षण के दौरान वसूली :-

स्थानीय निकायों में संपरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों को प्रकाश में लाते हुए अंकेक्षण द्वारा उत्तरदायी पदाधिकारियों से कुल राशि `1272721.00 की वसूली की जाकर निकाय निधि में जमा कराई गई।

संचालनालय, संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

भाग–1

संचालनालय के गठन का उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़ राज्य के बैंको के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, राज्य का वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय तथा राज्य में संस्थागत वित्त का अधिकाधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त संचालनालय की स्थापना की गई है । तद्नुसार संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये :–

1. बैंकिग कार्यकलापों का विस्तार तथा बैंको को विकासमूलक कार्यक्रम के संपादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण करना ।
2. बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से संबंधित राज्य और जिला स्तर समन्वय समितियों तथा सलाहकार समिति से जुडे कार्य ।
3. जिला एवं राज्य स्तरीय ऋण योजना, ऋण देने की प्रणाली एवं गति में सुधार संबंधित कार्य ।
4. वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण से संबंधित आंकड़ों का संधारण ।
5. विदेशी सहायता प्राप्ति एवं तत्संबंधी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अभिलेख इत्यादि का संधारण कार्य ।
6. भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं तथा निर्देशावली के क्रियान्वयन ।

राज्य शासन की विकास नीतियों को मूर्त रूप देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से भारत शासन के माध्यम से विदेशी सहायता भी प्राप्त की जाती है । चूँकि विदेशी सहायता की राशि भारत शासन के माध्यम से राज्य शासन की अतिरिक्त योजना संसाधन के रूप में प्राप्त होती है, संचालनालय का यह प्रयास रहा कि भारत सरकार को अधिक से अधिक विकास परियोजनाएं विदेशी सहायता हेतु प्रेषित की जाए, जिससे राज्य की विकास गति को अपेक्षा अनुसार वित्तीय समर्थन मिलता रहै । संचालनालय द्वारा ऐसी विदेशी संस्थाओं से सहायता ली जाती है, जिसका ऋण दर कम हो तथा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो ।

संचालनालय का आशासकीय ढ़ाँचा–

उपरोक्त दायित्वों एवं कार्यो के संपादन एवं निर्वहन के लिये स्थापित संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन राज्य स्तर पर अमला स्वीकृत है पर कोई क्षेत्रीय अथवा मैदानी अमला नहीं है ।

संचालनालय के अमले में निम्नलिखित सेटअप की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	01	–	01
2.	अतिरिक्त संचालक	37400–67000+Gr.Pay 8700	01	01	–
3.	संयुक्त संचालक	15600–39100+Gr.Pay 7600	01	–	01
4.	प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	15600–39100 +Gr.Pay 5400	01	01	–
5.	सहायक सॉख्यिकी अधिकारी	9300–34800 +Gr.Pay 4300	01	–	01
6.	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	9300–34800 +Gr.Pay 4300	01	01	–
7.	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	5200–20200 +Gr.Pay 2800	01	01	–
8.	लेखापाल	5200–20200 +Gr.Pay 2400	01	–	01
9.	सहायक वर्ग–2	5200–20200 +Gr.Pay 2400	01	01	–
10.	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	5200–20200 +Gr.Pay 2400	03	03	–
11.	सहायक ग्रेड–पI	5200–20200 +Gr.Pay 1900	02	02	–
12.	वाहन चालक	5200–20200 +Gr.Pay 1900	02	02	–
13.	भृत्य	4750–7440 +Gr.Pay 1300	02	02	–
14.	फर्राश	कलेक्टर दर पर	01	–	01
15.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	01	–	01
	योग–		**20**	**14**	**06**

भारतीय रिजर्व बैंक से आतिनियुक्त अधिकारी, अपर संचालक के पद पर पदस्थ है । तथा वर्तमान में संचालक के पद पर कार्यरत है । ओग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेनोग्राफर वर्ग–3, सहायक ग्रेड–2 तथा भृत्य के पद संविदा नियुक्ति से भरे गये है ।

भाग–2

बजट प्रावधान एवं व्यय

अ.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें

(091)–संबंद्व कार्यालय

4296–संचालनालय संस्थागत वित्त

- विभागीय उपलब्ध बजट

(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2013 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	आाप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि #01	57.05	34.87	22.18
02	मजदूरी #02	1.80	1.10	0.70
03	यात्रा भत्ता #03	6.60	0.00	6.60
04	कार्यालय व्यय #04	9.85	4.40	5.45
05	प्रशिक्षण #05	1.00	0.00	100
06	व्यवसायिक सेवाओं #10 हेतु अदायगियां	1.00	0.00	1.00
07	अनुरक्षण पर व्यय #24	1.00	0.15	0.85
	योग–	78.30	4052	37.78

ब.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें

(091)–संबंद्व कार्यालय

4296–संचालनालय संस्थागत वित्त

2435–अन्य कृषि कार्यक्रम

(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2013 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	आाप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज–0101–5628	40,00.00	13,50.00	26,50.00

स.

06–2435–अन्य कृषि कार्यक्रम

60–अन्य

101–किसानों के लिए ऋण राहत योजना

0101–राज्य आयोजना (सामान्य)

8671–लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना

13–आर्थिक सहायता

001–आत्यक्ष सहायता

(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2013 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	आाप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना	1,00.00	0.00	1,00.00

- **यूरोपियन कमीशन – राज्य साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध बजट**

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें

(091)–संबंद्व कार्यालय

4296–संचालनालय संस्थागत वित्त

6725–यूरोपियन कमीद्यान

(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2013 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	आाप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि #01	10.00	2.92	7.08
02	यात्रा भत्ता #03	15.00	0.29	14.71
03	कार्यालय व्यय #04-009 सूचना आौद्योगिकी	25.00	1.70	23.30
04	आशिक्षण #05-001 अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	15.00	0.00	15.00
05	अनुरक्षण कार्य #24	1.00	0.00	1.00
	योग	66.00	4.91	61.09

भाग–3

संचालनालय के कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ :–

1. संचालनालय के सफल आयास से बैंकों के कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है । सितम्बर, 2013 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1047, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 580 एवं शहरी क्षेत्रों में 584 कुल 2211 बैंक शाखा कार्यरत रही है । बैंको को साख जमा अनुपात का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 60% के विरूद्ध सितम्बर, 2013 में 58.09% हुआ है । राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों में साख की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 40% के विरूद्ध सितम्बर, 2013 में 45.63% हो गया है । कृषि ऋण (अग्रिम) कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 18% के विरूद्ध सितम्बर, 2013 मे 17.67% हुआ है । कृषि क्षेत्र में कुल अग्रिम सितम्बर, 2012 में रु 7837.29 करोड़ के विरूद्व सितम्बर, 2013 में रु 9011.97 करोड़ हुआ है । यह वृद्वि 14.99% है । सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में कुल अग्रिम सितम्बर, 2012 में रु 8173.45 करोड़ के विरूद्ध सितम्बर, 2013 में रु 9758.21 करोड हुआ है, जो कि 19.39% अधिक है । कमजोर क्षेत्र को अग्रिम का कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 10% के विरूद्ध सितम्बर, 2013 में 9.73% हुआ है ।
2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत् प्रदेश के 27 जिले विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को आबंटित किए गए है । अग्रणी बैंक का प्रमुख उत्तरदायित्व जिले की साख योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करना एवं बैंक तथा जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है । जिला स्तर पर साख संबंधी योजना तैयार करने का कार्य को सुगम बनाने के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली शासकीय विभागों के साथ समन्वय कर आगामी वर्ष की साख योजना के लिये दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया जाता है । शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों के साथ अनुश्रवण कर वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है । संचालनालय द्वारा स्टेट क्रेडिट प्लान 2013–14 तैयार किया गया है, जिसमें योजनावार एवं जिलावार भौतिक, वित्तीय लक्ष्य एवं अनुदान की राशि का समावेश किया गया है ।

भाग–4

बैंक वसूली आोत्साहन योजना आकोष्ठ (ब्रिस्क) का क्रियान्वयन :–

शासन आायोजित योजनाओं के अंर्तगत व्यावसायिक बैंको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आदत्त ऋणों के अतिदेय राशियों की वसूली हेतु सहायता करने में राज्य शासन भरसक प्रयत्नशील है । इस दिशा में राज्य शासन वसूली हेतु अपने प्रशासनिक तंत्र (राजस्व अमला) की सुविधा उपलब्ध कराती है । ब्रिस्क योजना के अंर्तगत् पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को रु. 12,83,629.00 बंटवारे में प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से दिसम्बर, 2013 की स्थिति में ब्रिस्क खाते में रु. 43,27,163.92 जमा है ।

भाग–5

संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़, रायपुर में पदस्थ अमले की जानकारी :–

क्र.	नाम	पदनाम	रिमार्क
1.	श्री नारायण	अतिरिक्त संचालक आभारी संचालक	
2.	श्री आर.सी. खरे	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	
3.	कु. ज्योति अग्रवाल	ओग्रामर सह सिस्ट. एड.	
4.	श्री महेश कुमार शर्मा	सहायक ग्रेड–2	
5.	कु. पायल यदु	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	
6.	श्री संजय श्रेय	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	
7.	श्री मुकेश कुमार	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	
8.	श्री घनश्याम आसाद सिन्हा	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	
9.	श्री सत्यवीर सिंह राठौर	सहायक ग्रेड–3	
10.	श्री तेनसिंह विनायक	सहायक ग्रेड–3	
11.	श्री विजय कुमार मिश्रा	वाहन चालक	
12.	श्री रामफल निषाद	वाहन चालक	
13.	श्री बैशाखू राम कोराम	भृत्य	
14.	श्री भूषण लाल धर्मा	भृत्य	

-----000-----

संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

सामान्य जानकारी :-

छत्तीसगढ़ राज्य में वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज विभाग संचालित है । प्रमुख कार्य अल्प बचत योजनाओं को राज्य में बढ़ावा देना है ।

अल्प बचत योजनाएं :-

1. किसान विकास पत्र
2. राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम
3. मासिक आय योजना
4. सावधि जमा योजना
5. डाकघर बचत खाता
6. पंच वर्षीय आवर्ती जमा योजना
7. वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना
8. लोक भविष्य निधि खाता

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एस.ए.एस. एजेंट ए.पी.के.वी.वाय एजेंटो की नियुक्ति एवं पी.पी.एफ. एजेंटों की नियुक्ति संबंधी कार्य संचालनालय की देखरेख में जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2013-14 में लक्ष्य 200 करोड़ प्रस्तावित किया गया था जिसके विरूद्ध अल्प बचत शुद्ध संग्रहण माह अक्टूबर, 2013 तक 165 करोड़ प्राप्त हुआ है ।

-----**000**-----

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, मंत्रालय

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली कार्यालय का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13 अगस्त, 2001 को किया गया । वित्त विभाग के अंतर्गत् गठित इस कार्यालय द्वारा राज्य शासन के वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सभी कार्य किये जाते हैं ।

वर्ष 2012-13 में कार्यालय की गतिविधियां :-

वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान तथा प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2013-14 संकलित कर निर्धारित रूप में तैयार कर विधानसभा में प्रस्तुत किया गया तथा वर्ष 2013-14 का द्वितीय अनुपूरक अनुमान तथा वर्ष 2014-15 के मुख्य बजट अनुमान का संकलन कार्य प्रगति पर है ।

संगठनात्मक ढांचा :-

संचालनालय के लिये निम्नलिखित पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है । संचालक के पद हेतु संयुक्त सचिव या उप-सचिव के समकक्ष अधिकारी जो भी संचालक, बजट होंगे, पदेन रूप से इस पद पर आसीन होंगे -

क	पद	श्रेणी/संवर्ग	पद संख्या	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	पदेन	-	-
2	संयुक्त संचालक (राज्य वित्त सेवा)	प्रथम श्रेणी	01	15600-39100	7600
3	उप संचालक (वित्त)	प्रथम श्रेणी	01	15600-39100	6600
4	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	01	15600-39100	5400
5	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01	15600-39100	5400
6	सहायक लेखा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	02	9300-34800	4300
7	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी	01	9300-34800	4300
8	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	01	9300-34800	4200
9	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2800
10	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2800
11	सहायक ग्रेड-2	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2400
12	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	04	5200-20200	2400
13	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	03	5200-20200	1900
14	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	02	5200-20200	1900
15	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	03	4750-7400	1300

बजट आबंटन तथा व्यय (वित्तीय वर्ष 2013-14)
31 दिसंबर, 2013 की स्थिति में

(राशि हजार में)

क्रमांक	**मुख्य शीर्ष**	**योजना क्रमांक**	**योजना का नाम**	**बजट आवंटन**	**वास्तविक व्यय**
1	2052	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	7736	3371
2	2052	6725	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम	100	निरंक
योग				**7836**	**3371**

- **सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत वर्ष 2013 में प्राप्त प्रकरणों के कियान्यवन की जानकारी**

प्राप्त आवेदन पत्र	**निराकृत**	**अस्वीकृत**
निरंक	निरंक	**निरंक**

---**000**---

छत्तीसगढ़ इनफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

सामान्य जानकारी

(1) गठन का उद्देश्य :-

सी0आई0डी0सी0 का गठन, कम्पनी अधिनियम के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अंतर्गत 26 फरवरी, 2001 को किया गया था । इसे अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण-पत्र 28 मार्च, 2001 को प्राप्त हुआ । शासन द्वारा इसकी अधिकृत अंशपूंजी `10.00 करोड़ रखी गयी है । मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के अनुसार इस कार्पोरेशन के गठन का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :-

यह निगम राज्य में सभी प्रकार की अधोसंरचना विकास एवं उसके लिये निजी पूंजी निवेश के समन्वय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सलाहकार व नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा राज्य में सभी प्रकार की अधोसंरचना विकास परियोजनाओं हेतु नीति के निर्धारण, संवर्धन, विकास क्रियान्वयन, निर्माण संचालन, रखरखाव, प्रबंधन एवं वित्तीय व्यवस्था के लिए प्रवर्तक, सलाहकार, प्रयोजक व प्रबंधन सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा ।

(2) संगठनाात्मक ढॉचा :-

सी0आई0डी0सी0 में निम्नानुसार अमला कार्यरत् है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1.	प्रबंध संचालक	1	1
2.	मुख्य महाप्रबंधक	2	1
3	प्रबंधक	2	-
4.	प्रबंधक (लेखा)	1	1
5.	स्टेनोग्राफर	6	2
6.	रिसेप्सनिस्ट	2	-

(3) क्रियाकलाप :-

सी.आई.डी.सी. द्वारा वर्ष 2003 से विघटित मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के परिसमापन एवं पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है । पुनर्वास प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनॉक 01.12.2013 की स्थिति में 1218 कर्मीयों को विभिन्न विभागों/निगमों/मंडलों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया हैं ।

(4) बजट प्रावधान एवं व्यय

(अ) सी.आई.डी.सी. को वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रावधानित राशि `30.00 लाख के विरूद्ध लगभग `39.00 लाख व्यय हो चुका है ।

(ब) सी.आई.डी.सी. के नियंत्रणाधीन विघटित परिवहन निगम हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रावधानित राशि `1000.00 लाख के विरूद्ध `693.78 लाख का व्यय हो चुका है ।

---000---

राज्य योजना आयोग

प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग एवं राज्य के विकास की प्राथमिकताओं को निर्धारण करने के उद्देश्य से योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश क्रमांक 26/2001/योआसां/23 दिनांक 10 जनवरी 2001 द्वारा राज्य योजना मंडल का गठन किया । योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 8-7/2010/23/वियो दिनांक 30. 07.2010 द्वारा राज्य योजना मंडल का नाम परिवर्तित कर ''राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़'' किया गया । डॉ. रमन सिंह, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन वर्तमान में राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष एवं श्री शिवराज सिंह राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं।

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अमले की जानकारी परिशिष्ठ-1 में दर्शाई गई है ।

राज्य योजना आयोग के दायित्व

- राज्य की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना तैयार करना
- राज्य के संसाधनों का मूल्यांकन करना और उसके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग के लिए योजनाएं बनाना।
- योजना की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।
- जिलों के उन क्षेत्रों में जिसमें विकास योजनाएं तैयार करना, राज्य की योजना के ढॉचे के अंदर उपयोगी माना जाए, एसी योजनाएं बनाने में जिला अधिकारियों की सहायता करना ।
- उन कारणों का पता लगाना, जिसमें राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में रूकावटें आती हो और राज्य में क्षेत्र में व्याप्त असंतुलन को दूर करने के उपाय सुझाना ।
- योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा/पुनरवलोकन करना तथा नीतियों और उपायों में ऐसे समायोजनो की सिफारिश करना जो जरूरी है ।

1. **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** (Grass State Domestic Product)

किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Grass State Domestic Product- GSDP) उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर 8 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध 7.6 प्रतिशत रही है । कृषि क्षेत्र में उत्पाद तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु कई योजनाए प्रारंभ की गई हैं । इसी का परिणाम है कि कृषि और सेवा क्षेत्र में लक्ष्य के विरूद्ध वृद्धि अधिक हुई है । उद्योग क्षेत्र में वृद्धि अशातीत नही रही है । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि की दर 6.4 प्रतिशत रही जबकि लक्ष्य 1.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का था। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि की

दर 11.1 प्रतिशत वार्षिक रही है । विकास का प्रभाव है कि सेवा क्षेत्र का विस्तार कृषि एवं उद्योग की तुलना में अधिक रहा है । यही कारण है कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि लक्ष्य से अधिक है । औद्योगिक क्षेत्र में लक्ष्य के विरूद्ध अशातीत उपलब्धि का न प्राप्त होना प्रमुखत: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के काल के कुछ वर्षो में आयी वैश्विक मंदी है ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(Grass State Domestic Product- GSDP)

क्षेत्र	11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य	11वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां	12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य	वर्ष 2012-13 की उपलब्धियां
कृषि	1.7	6.4	5	5.5
उद्योग	12	5.4	10	6.7
सेवा	8	111	10	12.1
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)	8	7.6	9.1	8.6

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुये 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य निर्धारित किये गये है । । राज्य द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि हेतु 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य योजना आयोग को प्रस्तावित किया गया था । योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा 12 वी पंचवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि का लक्ष्य 9.1 प्रतिशत दिया गया है । इसी प्रकार कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्रमश: 5,10 एवं 10 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

वैश्विक मंदी के बावदूद वर्ष 2012-13 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की तुलना में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जो कि 9.1 प्रतिशत के करीब ही है । इसी प्रकार कृषि एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि की दर लक्ष्य के अनुरूप क्रमश: 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है । उद्योग क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि लक्ष्य से कम रहने का अनुमान है । इसके 10 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध 6.7 प्रतिशत की उपलब्धि का अनुमान है ।

2. **सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य** (Millenarian Development Goal MDG)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) अथवा राज्य घरेलू उत्पाद (GDP) से आर्थिक प्रगति की जानकारी होती है किन्तु आर्थिक प्रगति से कितनी समाजिक प्रगति हुई है इसकी जानकारी नही हो पाती है । इसी सामाजिक प्रगति को मापने के लिये कुछ समाजिक एवं स्वास्थ्यगत सकेंतकों का सहारा लिया जाता है । विश्व समुदाय द्वारा जनता को न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु आठ सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य निर्धारित किये गये है इन्हें ही सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य कहा

जाता है । प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति का अनुश्रवण (Monitoring) किये जाने हेतु निश्चित संकेतक निर्धारित किये गये हैं । इन लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने हेतु विश्व समुदाय द्वारा 2015 का लक्ष्य रखा गया है । इन्ही के अनुरूप 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य भी रखे गये है । सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से संबंधित कुछ प्रमुख संकेतको के संदर्भ में 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य तथा उनकी वर्तमान स्थिति निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित की गई है ।

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य

(Millennium Development Goal - MDG)

क्रं सं.	विकास संकेतक	12 वीं पंचवर्षीय योजना	वर्तमान स्थिति	वर्तमान स्थिति का वर्ष एवं स्त्रोत
1	गरीबी में कमी	25	39.93	योजना आयोग भारत सरकार, 2011-12
2	शिशु मृत्यु दर (IMR)	28	47	SRS Bulletin 2013
3	मातृत्व मृत्यु दर (MMR)	122	263	AHS 2011.12
4	कुल प्रजनन दर (TFR)	2	2.7	SRS Report 2012
5	लिंगानुपात (0-6)	999	969	Census 2011
6	शाला त्याग दर (Drop out Rate)	0	2.6	ASER 2012
7	शिक्षा का प्रतिशत (Literacy Rate)	90	70.28	Census 2011
8	महिला पुरूष साक्षरता अन्तर (Literary Gender Gap)	12	20.03	Census 2011

10 वीं एवं 11 वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में तथा खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में कई नवीन योजनाए प्रांरभ की गई तथा योजनाओं के परिव्यय में क्रमश: आवश्यकतानुरूप वृद्धि की गई । इससे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का एक ओर उत्पादन बढा और दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हए। साथ ही लौगों को रियायती दर पर खाद्यान भी उपलब्ध कराया गया । इन सबका यह परिणाम यह हुआ कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के काल में यद्यापि यह बहुत कम है किन्तु गरीबी में कमी आई है । दीर्घकाल में चालू की गई योजनाओं के परिणाम आने वाले कुछ वर्षो से आने लगेगें तथा उसी दिशा में नई नीतियों के निर्माण से गरीबी में निश्चित रूप से तेजी से कमी आयेगी । योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2003-04 में 40.90 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे । गरीबी का प्रतिशत 2011-12 में कम होकर 39.93 हो गया है । इसको कम कर 2017 तक 25 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है ।

स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में उठाये गये नये कदमों से शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate - IMR) तथा मातृत्व मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate - MMR) में भी कमी आई है । शिशु मृत्यु दर 2003 में 70 से कम होकर 2012 में 47 हो गई है । इसी प्रकार मातृत्व मृत्यु दर 'वार्षिक स्वास्थ्य संर्वेक्षण 2011-12' (Annual Health Survey 2011-12) के अनुसार कम होकर 263 हो गई है । 12 वीं पंचवर्षीय योजना में शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर को क्रमशः 28 और 126 पर लाने का लक्ष्य है । कुल प्रजनन दर (Total Furtility Rate –TFR), जो कि SRS रिपोर्ट 2012 के अनुसार 2.7 है, को 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 2017 तक 2 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है । आयूवर्ग 0.6 वर्ष के वर्तमान लिंगानुपात 969 (जनगणना 2011) को बढाकर 999 किया जाना है । शाला त्याग दर (Drop out rate) जो कि वर्तमान उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2.6 है, को शून्य पर लाना है । इसी प्रकार साक्षरता प्रतिशत को भी वर्तमान 70.25 प्रतिशत से बढाकर 90 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है । शिक्षा के क्षेत्र मे किये गये प्रयासों से निश्चित तौर पर साक्षरता का प्रतिशत तो बढेगा ही गुणवत्ता में भी सुधार होगा । महिला परूष में साक्षरता अंतर (Gender Gape) को कम करने के लिये भी प्रयास किये जा रहे है । इस हेतु बालिकाओं को सायकल, गणवेश तथा किताबें प्रदान करने की योजनाएँ प्रारंभ की गई है । स्कूलों की चाहरदीवारी बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय निर्मित किये जा रहे है । बालिका आवासीय विद्यालयों में महिला नगर सैनिक की नियुक्ति आदि के कारण महिला पुरूष में साक्षरता अंतर (Gender Gape) को कम करने में सफलता मिलेगी।

3. पंचवर्षीय योजनाएँ (Five Year Plan)

भारत द्वारा अपनायी गयी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देश और प्रदेशों का विकास पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के आधार पर किया जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से वर्तमान तक दो पंचवर्षीय योजनाएँ चली हैं । 10 वीं पंचवर्षीय योजना 2002-03 से 2006-07 और 11 वीं पंचवर्षीय योजना 2007-08 से 2011-12 राज्य गठन के समय 9 वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी । वर्तमान में 2012-13 से 12 वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है । योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिये कुल रू. 53729.98 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया था । इसके विरूद्ध 5 वर्षो में 2007-08 से लेकर 2011-12 तक रू. 44536.52 करोड़ का व्यय किया गया जो कि अनुमोदित परिव्यय का 81.86 प्रतिशत है ।

पंचवर्षीय योजना

(Five Year Plan)

(राशि- करोड़ रूपये में)

क्रं.	प्रमुख क्षेत्रक	11वीं पंचवर्षीय योजना		12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्तावित परिव्यय	उपलब्धि	
		कुल परिव्यय	व्यय		वर्ष 2012-13 वास्तविक व्यय	वर्ष 2013-14 अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	1955.46	4393.58	8283.74	2271.89	2304.98
2	ग्रामीण विकास	4260.06	1826.77	3668.52	397.439	993.53
3	विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम	692.80	2374.21	3313.50	539.536	840.43
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7227.73	5322.18	11952.26	1598.08	2088.85
5	ऊर्जा	1805.37	1135.06	7337.03	1172.89	924.36
6	उद्योग तथा खनिकर्म	815.05	1005.61	1972.32	240.301	289.48
7	यातायात	7227.48	4820.29	13017.31	1584.79	2589.25
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	3199.53	1354.50	2840.14	489.362	530.77
9	साामान्य आर्थिक सेवायें	834.68	2004.42	5206.92	592.355	675.99
10	समाजिक सेवायें	25330.46	20058.33	61260.26	7513.47	11756.84
11	सामान्य सेवायें	336.36	241.57	0.00	120.849	255.67
12	एकमुश्त केंन्द्रीय सहायता					59.00
योग		**53729.98**	**44536.52**	**118852.00**	**16520.96**	**23309.14**
13	स्थनीय निकायों के संसाधन			4421.00		
14	PSEs			8455.00		1940.86
	कुल योग	**53729.98**	**44536.52**	**131728.00**	**16520.96**	**25250.00**

11वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सेवाओं का विस्तार तथा कृषि का विकास प्रमुख लक्ष्य थे । इसके अनुरूप कुल व्यय का 45.31 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं तथा कृषि के विकास हेतु कृषि एवं संबंध सेवाओं तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर कुल व्यय की 21.51 प्रतिशत राशि व्यय की गई ।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये संभावित संसाधनों के अनुसार रू. 1,31,728 करोड़ की 12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किया गया है । इसमें स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रू. 12876 करोड़ के संसाधन सम्मिलित हैं । 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन के समय स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संसाधनों को सम्मिलित नही किया गया था । 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदित परिव्यय में से स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक खेत्र के उपक्रमों के संसाधनों के घटानें पर 12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित परिव्यय रू. 1,18,852 करोड़ हो जाता है । इस प्रकार 12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित परिव्यय 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदित परिव्यय से 121 प्रतिशत अधिक है । 11वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित परिव्यय 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदित परिव्यय रू. 11000 करोड से लगभग चार गुणा अधिक है ।

12वीं पंचवर्षीय योजना के कुल परिव्यय की 47 प्रतिशत राशि रू. 61,260 करोड़ सामाजिक सेवाओं के विकास हेतु प्रावधानित की गई है । कुल परिव्यय का 15 प्रतिशत कृषि के विकास पर व्यय किये जाने का प्रावधान है । इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना की एक प्रमुख विशेषता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की 10 प्रतिशत राशि प्रदेश में सडकों के निर्माण पर व्यय की जायेगी ।

4. वार्षिक योजनाएँ (Annual Pln)

वार्षिक योजना 2012-13, 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संसाधनों को सम्मिलित करते हुये योजना आयोग भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिये रू. 23479.95 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था । इसमें रू. 2295.70 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संसाधन है । वार्षिक योजना 2012-13 के व्यय में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये गये संसाधनों के विरूद्ध व्यय को नही लिया गया है । सार्वजनिक क्षत्र के उपक्रमों के संसाधनों को कुल अनुमोदित परिव्यय में से घटाने के बाद वार्षिक योजना 2012-13 के अनुमोदित परिव्यय रू. 21184.25 करोड़ के विरूद्ध 16520.96 करोड़ का व्यय किया गया, जो कि कुल परिव्यय का 78 प्रतिशत है । कृषि एवं संबंध सेवाओं के क्षेत्र को आंबटित राशि का शत-प्रतिशत व्यय किया गया है । ग्रामीण विकास तथा सडकों के निर्माण हेतु आंबटित राशि का केवल क्रमशः 49 एवं 58 प्रतिशत राशि का व्यय किया गया है । यही कारण है कि योजना का व्यय कुल परिव्यय के विरूद्ध कुछ कम परिलक्षित होता है ।

वार्षिक योजना
(Annual Plan)

(राशि करोड़ रूपये में)

क्रं.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना वर्ष 2012-13			वर्ष 2013-14 अनुमोदित परिव्यय
		अनुमोदित व्यय	वास्तविक व्यय	व्यय का प्रतिशत	
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	2284.24	2271.89	99.46	2304.98
2	ग्रामीण विकास	806.97	397.439	49.25	993.53
3	विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम	761.46	539.536	70.86	840.43
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2086.25	1598.08	76.60	2088.85
5	ऊर्जा	1263.56	1172.89	92.82	924.36
6	उद्योग तथा खनिकर्म	268.46	240.301	89.51	289.48
7	यातायात	2740.74	1584.79	57.82	2589.25
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	505.00	489.362	96.90	530.77
9	साामान्य आर्थिक सेवसयें	675.89	592.355	87.64	675.99
10	समाजिक सेवायें	9579.00	7513.47	78.44	11756.84
11	सामान्य सेवायें	212.66	120.849	56.83	255.67
12	एकमुश्त अतिरिक्त केंन्द्रीय सहायता	0.00		0.00	59.00
योग		21184.25	16520.96	77.99	23309.14
13	स्थानीय निकायों के संसाधन	0.00		0.00	
14	PSEs	2295.70		0.00	1940.86
कुल योग		23479.95	16520.96	70.36	25250.00

वर्ष 2013-14 की वार्षिक योजना, योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रू. 25250 करोड़ की अनुमोदित की गई है । इसमें भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रू. 1940.86 करोड़ के संसाधन योजना परिव्यय में सम्मिलित है ।। वार्षिक योजना के अनुमोदित परिव्यय का 47 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं हेतु प्रावधानित किया गया है । परिव्यय का 17 प्रतिशत हिस्सा कृषि के विकास पर व्यय किये जाने हेतु रखा गया है ।

5. वार्षिक योजना में जनसंख्या के अनुपात में प्रावधान (Provision in Annual Plans As per Population) :- वार्षिक योजना के प्रावधान तीन मांग संख्याओं के अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु पृथक-पृथक किया जाना है जिससे एक क्षेत्र की राशि अन्य क्षेत्रों में व्यय न की जा सके । किसी भी रूप में अनुसूचित जाति एवं जनजाति मद के अंतर्गत प्रावधानित राशि सामान्य मदें में व्यय नही की जा सकती है । यह प्रावधान अनुसूचित जाति तथा जनजाति की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत के अनुरूप किया जाना है । 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों

का प्रतिशत 12.82 है । इसके अनुरूप वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में अनुसूचित जाति हेतु क्रमशः 11.49 प्रतिशत तथा 12.57 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है । वर्ष 2012-13 हेतु 2001 की जनगणना के आधार पर प्रावधान किया गया था इसलिये प्रावधानित राशि का प्रतिशत कुछ कम है । अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 30.62 प्रतिशत है । अतएव अनुसूचित जनजाति हेतु वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में 34 प्रतिशत से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है ।

वार्षिक योजना में जनसंख्या के अनुपात में प्रावधान

(Provision in Annual Plans As per Population)

(राशि लाख रूपये में)

क्रं.	वर्ष	विभिन्न वर्गो हेतु निर्धारित परिव्यय एवं उसका प्रतिशत					
		सामान्य		अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP)		अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP)	
		परिव्यय	प्रतिशत	परिव्यय	प्रतिशत	परिव्यय	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वार्षिक योजना वर्ष 2012-13	1139439.47	53.70	735645.42	34.73	243350.60	11.49
2	वार्षिक योजना वर्ष 2013-14	1436793.74	53.31	795249.25	34.12	292957.01	12.57

6. जिला योजना (District Plan)

भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है । जिसमें उसे विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदाय किया गया है ।

जिला योजना के संदर्भ में संचालित कार्यक्रम/उपलब्धियाँ

1. यूनीसेफ की सहायता से गैर सरकारी संस्था 'समर्थन' तथा राज्य योजना आयोग के संयुक्त तत्वाधान में जिला वार्षिक योजना 2014-15 के निर्माण के लिए जिले का स्थिति विश्लेषण निर्धारित सात क्षेत्रकों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजिविका, अधोसंरचना, ऊर्जा प्रबंधन तथा नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिन्दुओं पर तैयार किया गया है ।

2. क्षेत्रकों के स्थिति विश्लेषण पर जिला स्तर के अधिकारियों हेतु संभाग स्तरीय प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया गया । इसके पश्चात् जिला स्तर अधिकारियों द्वारा अपने अधिनस्थों को प्रशिक्षित किया गया।

भाग- दो

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ का बजटीय प्रस्ताव 2013-14

(राशि लाख रूपये में)

क्रं.	योजना शीर्ष एवं क्रंमाक	स्वीकृत बजट वर्ष 2012-13	पुनरीक्षित 2012-13 का वास्तविक व्यय	वर्ष 2012-13 का वास्तवितक व्यय	बजट अनुमान 2013-14
1	2	3	4	5	6
1. मांग संख्या -31, मुख्य लेखा शीष- 3451					
	3686- राज्य योजना आयोग (आयोजनेत्तर)	242.70 0.20	242.70 0.20	152.47 -	301.60 0.20
	योग	**242.90**	**242.90**	**152.47**	**301.80**
	6525 - यूरोपियन कमीशन	180.00	180.00	9.03	774.20
	योग	**180.00**	**180.00**	**9.03**	**774.20**
1. मांग संख्या -60, मुख्य लेखा शीर्ष- 3451					
	7282- जिला योजना का सुदृढ़ीकरण (आयोजना)	76.00	76.00	26.00	100.00
	योग	**76.00**	**76.00**	**26.00**	**100.00**

भाग -तीन

राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना

भाग -चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

भाग -पांच

अभिनव योजना

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoting & Evaluation):

प्रदेश में संचालित सभी योजनाओं के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन हेतु विश्व बैंक की सहायता से वेब आधारित अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पद्धति का विकास किया जा रहा है । पद्धति के विकास पश्चात कम्प्यूटर की एक क्लिक पर योजनाओं की प्रगति की जानकारी अनुश्रवणकर्त्ता अधिकारी के समक्ष होगी । राज्य जिला एवं विकास खण्ड स्तर तक योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक उपजब्धियाँ संबंधी अद्यतन जानकारी इस पद्धति के द्वारा प्राप्त की जा सकेगी । योजनाओं में हितग्राहीयों की जानकारी प्राप्त करना भी संभव हो सकेगा । साथ ही यदि किसी योजना की प्रगति आशातीत नहीं है तो योजना में बाधा कहां पर आ रही है जिसके कारण योजना की प्रगति बाधित हो रही है, इसकी भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी । हितग्राही मुलक एवं वर्क्स डिपार्टमेंट के योजनाओं की प्रकृति भिन्न-भिन्न होते हुये भी इन सभी का अनुश्रवण इस पद्धति के द्वारा किया जाना संभव हो सकेगा ।

भाग –छः

प्रकाशन

वार्षिक योजना 2013–14 के भाग – एक एवं भाग –दो का प्रकाद्यान किया गया।

भाग – सात

सांराश

राज्य योजना आयोग का प्रमुख दायित्व प्रदेश के विभिन्न विभागों से प्राप्त वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजना के प्रास्तव पर विभागो से चर्चा कर योजनाओं को अंतिम रूप देना तथा अपनी अनुशंसाओं के साथ वित्त विभाग को संस्तुति करना है । साथ ही प्रदेश द्वारा तैयार वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजना का योजना आयोग, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होता है । वार्षिक योजना 2013–14 के लिये योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रूपये 25,250 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है । जिला योजना तैयार किये जाने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों प्रशिक्षित किया गया एवं प्रदेश की वर्तमान स्थिति का जिलेवार स्थिति विश्लेषण तैयार किया गया है ।

–––––**000**–––––

परिशिष्ट – एक (1)

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ में स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

(01 जनवरी, 2014 की स्थिति में)

क0	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उपाध्यक्ष		राज्य शासन द्वारा मनोनीत		1	1	0	
2	सदस्य		राज्य शासन द्वारा मनोनीत		1	1	0	
3	अंशकालीन सदस्य		राज्य शासन द्वारा मनोनीत		1	1	0	
4	सदस्य सचिव	प्रथम श्रेणी	37400-67000	10000	1	1	0	
5	विशेष सचिव/उप सचिव	प्रथम श्रेणी	37400-67000	7600	1	0	1	
6	सलाहकार	प्रथम श्रेणी	37400-67000	8700	4	0	4	
7	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	15600-39100	7600	2	2	0	
8	अवर सचिव	प्रथम श्रेणी	15600-39100	6600	1	0	1	
9	शोध अधिकारी	प्रथम श्रेणी	15600-39100	6600	4	2	2	
10	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	15600-39100	5400	4	0	4	
11	लेखाधिकारी	द्वितीय श्रेणी	15600-39100	5400	1	1	0	
12	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	15600-39100	5400	2	1	1	
13	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1	द्वितीय श्रेणी	9300-34800	4400	1	1	0	
14	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	9300-34800	4400	1	0	1	
15	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी	9300-34800	4300	4	1	3	
16	कनिष्ठ ग्रंथपाल	तृतीय श्रेणी	9300-34800	4300	1	0	1	
17	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	9300-34800	4300	2	1	1	
18	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2800	2	1	1	
19	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2800	1	1	0	
20	अन्वेषक	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2800	4	1	3	
21	लेखापाल	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2400	1	1	0	
22	कनिष्ठ लेखापाल	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2400	1	0	1	
23	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2400	2	1	1	
24	संगणक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2200	6	3	3	
25	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	5200-20200	1900	4	1	3	
26	वाहन चालक वरिष्ठ	तृतीय श्रेणी	5200-20200	1900	1	1	0	
27	वाहन चालक कनिष्ठ	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440	1400	4	4	0	
28	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440	1400	1	1	0	

29	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440	1300	11	6	5	
30	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	Collector Rate		2	0	2	
31	वाटरमेन	चतुर्थ श्रेणी	Collector Rate		1	1	0	
32	फर्राश	चतुर्थ श्रेणी	Collector Rate		1	1	0	
	योग				**74**	**36**	**38**	

उपाध्यक्ष कार्यालय हेतु								
क0	**स्वीकृत पदनाम**	**श्रेणी**	**वेतनमान**	**ग्रेड वेतन**	**स्वीकृत पद संख्या**	**भरे हुए पद**	**रिक्त पद संख्या**	**रिमार्क**
1	विशेष सहायक	प्रथम श्रेणी	15600.39100	6600	1	0	1	
2	निज सचिव	द्वितीय श्रेणी	9300.34800	4400	1	0	1	
3	निज सहायक	तृतीय श्रेणी	9300.34800	4300	1	0	1	
4	सहायक ग्रेड –2	तृतीय श्रेणी	5200.20200	2400	1	0	1	
5	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	5200.20200	1900	2	2	0	
6	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	4750.7440	1300	3	2	1	
	योग				**9**	**4**	**5**	
	महायोग				**83**	**40**	**43**	

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर

भाग–1

विभागीय संरचना

राज्य की सामाजार्थिक गतिविधियों में समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा विविध विषयों पर सांख्यिकी के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण इत्यादि कार्यो को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गो के अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ है । वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण परिशिष्ट–1 में दर्शाया गया है ।

अधीनस्थ कार्यालय

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, के अधीनस्थ जिला स्तर पर प्रदेश के 27 जिलों में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय स्थापित है । संचालनालय में प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के निष्पादन हेतु 17 संभाग है जिनका विवरण **परिशिष्ट–2** में दर्शाया गया है ।

संचालनालय के दायित्व

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, प्रशासन एवं विकास से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा उन्हें प्रकाशित कर सामाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण दायित्व इस संचालनालय का है । राज्य शासन द्वारा संचालनालय को इस हेतु नोडल अभिकरण घोषित किया गया है ।

संचालनालय के प्रमुख कार्य

1.सामान्य जानकारी

1.1 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के विन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य संपादित किया जाता है, साथ ही राज्य की सामाजार्थिक स्थिति का आंकलन करने के अलावा राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययनों का निष्पादन का दायित्व भी संचालनालय का है ।

1.2 प्रचलित अधिनियम तथा नियम निम्नानुसार है :–

(अ) औद्योगिक सांख्यिकी (कारखाना अधिनियम,1948)

(ब) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(स) छत्तीसगढ. राज्य जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001

(द) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008

(ई) सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011

1.3 संचालनालय अपने तकनीकी कार्यो के संपादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णत: अनुसरण करता है । इसके अंतर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय न्यादर्श कार्यालय, महारजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु पंजीयन एवं योजना आयोग के अनुदेशों तथा निर्देशों के

अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का निर्धारित प्रारूपों में संकलन, संधारण तथा विभिन्न प्रकाशनों का प्रकाशन किया जाता है । राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अनुसूचियों द्वारा राज्य स्तर पर भी संचालनालय में सर्वेक्षण संपादित किया जाता है ।

1.4 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मार्गदर्शन में राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते है ।

1.5 संचालनालय की सांख्यिकी गतिविधियों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ.ीकरण कर प्रशासन, योजनाविद्दों तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराना है ।

2 प्रमुख गतिविधियाँ

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी प्रकाशन

राज्य की सामाजिक स्थिति तथा उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों का वार्षिक विश्लेषणात्मक अध्ययन छत्तीसगढ. का **आर्थिक सर्वेक्षण** के रूप में प्रकाशित किया जाता है । प्रकाशन के अंतर्गत प्रमुख रूप से राज्यीय आय, कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य विकास, वानिकी, जलसंसाधन, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, श्रम एवं रोजगार, सहकारिता एवं बैंकिंग तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभागों की विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जाती है । विगत विधानसभा के बजट सत्र में यह प्रकाशन माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया गया ।

2.2 राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

राज्य की अर्थ व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करने के लिए भारत शासन के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष **राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान** (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) तैयार किये जाते है । इन अनुमानों को भी प्रतिवर्ष विधान सभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाता है ।

2.3 बजट विश्लेषण

राज्य के वार्षिक बजट का **आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण** भी संचालनालय द्वारा किया जाता है, जो राज्य की प्राथमिकताओं का सूचक है । संचालनालय द्वारा वर्ष 2013-14 की अवधि में राज्य बजट का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण 2010-11 (लेखा), 2011-12 (पु.अ.) एवं 2012-13 (आ.अ.) नामक प्रकाशन तैयार किया गया ।

2.4 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 70 वें दौर (जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2013) की अवधि में **''भूसंपत्ति एवं पशुधन धारित ऋण एवं निवेश कृषक परिवारों की स्थिति का आकलन''** विषय पर निर्धारित प्रपत्रों पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य संचालनालय के निर्देशन में जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक पूर्ण किया । 70वें दौर हेतु 86 ग्रामीण तथा 56 नगरीय कुल 142 न्यादर्श

आबंटित हैं । 71वें दौर में 86 ग्रामीण एवं 66 नगरीय प्रतिदर्श आंबटित है। जिसका सर्वेक्षण जनवरी 2014 से जून 2014 तक किया जाना है ।

2.5 जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य :-

2.5.1 जन्म और मृत्यु पंजीयन का कार्य भारत सरकार के **जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969** एवं **छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001** के प्रावधानों के तहत् किया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव/कर्मी को उप-रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) अधिसूचित किया गया है, तथा नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप किया जा रहा है ।

2.5.2 जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था हेतु राज्य शासन द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था की गई है । संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी, छत्तीसगढ को मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), अधिसूचित किया गया है । आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, द्वारा छत्तीसगढ के संयुक्त संचालक (जीवनांक) को संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), उप संचालक, (जीवनांक) को उपमुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं सहायक संचालक (जीवनांक) को सहायक मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) अधिसूचित किया गया है ।

2.5.3 प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए उनके अधीनस्थ क्षेत्रान्तर्गत संभागीय आयुक्त (राजस्व) को संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) जिला कलेक्टर को अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सहायक अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) तथा जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) अधिसूचित किये गये है । इसके अतिरिक्त राज्य के 30 या इससे अधिक बिस्तर वाले समस्त शासकीय चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी को रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) अधिसूचित किया गया है ।

2.6 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक :- औद्योगिक कामगारों के लिए खाद्य एवं सामान्य समूह से संबद्ध मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित मूल्य संकलन का कार्य विभागीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जाकर पत्रक मूलत: लेबर ब्यूरो शिमला संप्रेषित किये जाते है । लेवर व्यूरो शिमला द्वारा भिलाई केन्द्र के लिये मासिक एवं वार्षिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार कर जारी किये जाते है ।

2.7 वार्षिक कार्यकलाप

(क) वर्ष 2013-14 में प्रकाशित प्रकाशन :-

(1) छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण -2012-13

(2) छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2004-2005 से 2010&11(Q)

(3) छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विपणन- 2011-12

(4) छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप 2011-12

(5) Chhattisgarh AT A GLANCE - 2011

(6) Economic and Purpose Classification of State Government Budget of Chhattisgarh 2009-10(A/C), 2010-11 (R.E.) & 2011-12 (B.E.)

(7) Gross Fixed Capital Formation by State Govt. Administrative of Chhattisgarh 2000-01 To 2009-10 & Central Government Administrative Department & Supra-Regional Sectors 2000- 01 to 2008-09

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ (सन् 1993-94) से नवम्बर, 2012 तक कुल 577.867 करोड़ रूपये की राशि छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी की गई है, जिसमें से राशि रू. 570.25 करोड़ रूपये की लागत से 36658 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये । योजनान्तर्गत भौतिक उपलब्धि 92.75 प्रतिशत तथा वित्तीय उपलब्धियॉ 98.68 प्रतिशत रही हैं।

(ग) बीस सूत्रीय कार्यक्रम का मासिक प्रबोधन पत्रक माह दिसम्बर, 2012 केन्द्र शासन को प्रस्तुत किया गया है ।

(घ) अन्य सर्वेक्षण कार्य :-

1.अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं का सर्वेक्षण

भारत सरकार केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं के सर्वेक्षण- द्वितीय चरण का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली को भेज दिया गया है । कुल 39901 पंजीकृत संस्थाओं में से 13386 (33.55%) संस्थाओं को विजिट कर 3926 (9.85%) संस्थाओं की खोज कर सर्वे कार्य किया गया है। आंकड़ों का परिश्करण तथा प्रकाशन का कार्य प्रगति पर है।

2.रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण

वर्ष 2012-13 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण के तृतीय चरण का आयोजन लेबर ब्यूरो के निर्देशन में सम्पादित किया जा रहा है । छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों को उक्त सर्वेक्षण में शामिल किया गया । संपूर्ण छत्तीसगढ़ मे सर्वेक्षण हेतु 164 ग्रामीण तथा 116 शहरी कल 280 चयनित इकाइयॉ आबंटित की गई है । उक्त सर्वेक्षण की कार्य अवधि 6 माह (अक्टूबर, 2012 से मार्च, 2013) निर्धारित की गई है। प्रदेश के समस्त जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

(ड.) कौशल विकास हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षणों हेतु नामांकित किया जाता है । वर्ष 2012 की अवधि में कुल 26 विद्यायों पर विविध स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये । राज्य स्तर पर 10 प्रशिक्षण आयोजित किये गये जिसमें 530 अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित हुये । केन्द्र शासन द्वारा आयोजित 16 पृथक-पृथक विषयों पर प्रशिक्षण सह-कार्यशाला एवं सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें संचालनालय के 49 अधिकारी /कर्मचारियों ने भाग लिया ।

भाग–2

बजट विहंगावलोकन :–

संचालनालय को आलोच्य वर्ष 2012–13 में राज्यीय सांख्यिकी गतिविधियॉ के संचालन हेतु गैर योजनान्तर्गत निम्नानुसार आवंटन प्राप्त हुआ है :–

(लाख रूपये में)

बजट मद विवरण	वर्ष 2013–14 वास्तविक व्यय (दिसंबर, 2013)	वर्ष 2013–14 पुनरीक्षित प्रस्ताव	वर्ष 2013–14 के लिए बजट प्रस्ताव
1	**2**	**3**	**4**
आयोजनेत्तर			
1. राज्य सांख्यिकी संस्थान(8048)	886.52	1412.10	1412.10
2. जन्म–मृत्यु आंकड़ों का संकलन(1430)	76.88	174.36	174.36
3. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण(0512)	67.74	120.11	120.11
योग	**1033.14**	**1706.57**	**1706.57**

भाग–3

संचालनालय द्वारा वर्तमान में निम्नानुसार राज्य/केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय एवं विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाऍं संचालित की जा रही है ।

योजना विवरण	**वर्ष 2013–14 वास्तविक व्यय (जनवरी, 2013)**	**वर्ष 2013–14 पुनरीक्षित प्रस्ताव**	**वर्ष 2013–14 के लिए बजट प्रस्ताव**
1	**2**	**3**	**4**
राज्य–आयोजना			
6562 जन्म–मृत्यु अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन	0.7	1.90	1.90
6564 सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	0.35	3.80	3.40
6293 सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण	1.69	1.85	1.85
केन्द्र प्रवर्तित योजना			
5501 जन्म–मृत्यु सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	4.81	21.60	21.60
7413 राज्य सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	0.00	1.10	1.10

केन्द्र क्षेत्रीय योजना			
5537 मृत्यु सांख्यिकी का विश्लेषण	0.00	1.50	1.50
7414 स्थानीय स्तर विकास हेतु मूलभूत सांख्यिकी	15.81	146.32	146.32
7497 छठवी आर्थिक गणना	4.87	125.00	125.00
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना			
6725 यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान	1.69	20.00	20.00
तेरहवे वित्त आयोग			
7416– तेरहवे वित्त आयोग की अनुसंशा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	**195.90**	325.24	325.24
योग	**189.91**	648.31	648.31

<u>भाग–4</u>

सामान्य प्रशासनिक विषय–निरंक

<u>भाग–5</u>

अभिनव योजनाएँ–निरंक

<u>भाग–6</u>

प्रकाशन

आलोच्य अवधि में प्रकाशित प्रकाशनों का परिचयात्मक विवरण निम्नानुसार है :-

1. **आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष– (2012–13) :-** प्रस्तुत वार्षिक प्रकाशन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र विकास, जल संसाधन, परिवहन संसाधन, पर्यावरण, प्रौद्यौगिकी विकास के साथ ही सामाजिक विषयों से संबद्ध क्षेत्रों में अभिज्ञापित उपलब्धियों का उल्लेख राज्य के संदर्भ में किया गया है । यह प्रकाशन विगत विधान सभा के बजट सत्र वर्ष 2012 में माननीय सदस्यों को वितरित किया गया है ।
2. **आय व्ययक संक्षेप– (2012–13) :-** प्रकाशित प्रकाशन में राज्य शासन द्वारा आलोच्य अवधि के लिये प्रस्तावित आयोजना एवं गैर आयोजनेत्तर व्यय तथा उसके सापेक्ष में अनुमानित आय का विवरण तैयार कर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया, विभाग द्वारा इस प्रकाशन को वार्षिक बजट के साथ विधानसभा में वितरित किया गया ।
3. **छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2004–2005 से 2010–2011** (Q) **:**–इस प्रकाशन में राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमान –सकल/निवल (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) संचालनालय द्वारा तैयार कर प्रकाशित किये गये, जिसमें प्रति व्यक्ति आय (सकल/निवल –प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) का भी आकलन प्रस्तुत किया गया है।

4. **राज्य में कृषि विपणन (2010–11) :**–राज्य की कृषि उपज मण्डियों एवं उप मण्डियों में कृषि उत्पादों की आवक एवं विपणन से संबद्ध वार्षिक जानकारी इस प्रकाशन में प्रकाशित की गई, जो राज्य की सुदृढ़ कृषि विपणन व्यवस्था का द्योतक है।

5. **छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप (2010–11) :**– इस प्रकाशन में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामाजार्थिक विकास के महत्वपूर्ण आंकड़ों को राज्य स्तर पर जिलेवार तालिकाओं के रूप में प्रकाशित किया गया है । राज्य /जिलों के संदर्भ में वर्ष 2006 से 2009 तक की जानकारी का तुलनात्मक अध्ययन हो सके ।

6. **छत्तीसगढ़ एक दृष्टि** में **(2011) :**–उक्त प्रकाशन में प्रशासनिक, कृषि, ग्रामीण विकास, जल, परिवहन, पर्यावरण एवं सामाजिक अवयवों से संबंधित समंक एवं संकेतांक तथा जनगणना 2001 का अतिंम एवं 2011 का अनन्तिम के आधार पर ऑकड़े प्रस्तुत किये गये, जिससे राज्य की विकास अवधारणा का प्रबोधन किया जा सके ।

7. **राज्य बजट का आर्थिक उद्देश्वार वर्गीकरण–वर्ष** 2009–10 (लेखा), 2010–11 (पु.अ.) एवं 2011–12(आ.अ.)– प्रस्तुत प्रकाशन में उद्देश्य के अनुसार किये गये वित्तीय प्रावधान एवं उसके सापेक्ष्य परिव्यय का उल्लेख किया जाता है ।

<u>भाग–7 सारांश</u>– निरंक

परिशिष्ट –एक

मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी

(01-01-2013 की स्थिति में)

क्र.	श्रेणी एवं पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद		
		मुख्यालय	जिला	**योग**	मुख्यालय	जिला	**योग**
	प्रथम श्रेणी						
1	आयुक्त सह संचालक	1	0	**1**	1	0	**1**
2	अपर संचालक	1	0	**1**	1	0	**1**
3	संयुक्त संचालक	3	0	**3**	3	0	**3**
4	उपसंचालक	3	27	**30**	3	3	**6**
	द्वितीय श्रेणी						
5	सहायक संचालक	0	0	**0**	5	0	**5**
6	सहायक संचालक योजना	0	27	**27**	0	0	**0**
7	सहायक संचालक सांख्यिकी	13	27	**40**	0	14	**14**
	तृतीय श्रेणी						
8	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	36	122	**158**	23	92	**115**
9	सहायक प्रोग्रामर	1	0	**1**	0	0	**0**
10	अन्वेषक/ खण्ड स्तर अन्वेषक	14	165	**179**	12	98	**110**
10	संगणक (डाटा एण्ट्री आपरेटर)	6	54	**60**	01	08	**9**
12	अधीक्षक	01	0	**01**	0	1	**01**
13	आशुलिपिक ग्रेड-2	01	0	**01**	0	0	**0**
14	आशुलिपिक ग्रेड-3	01	0	**01**	0	0	**0**
15	स्टेनोटायपिस्ट	04	18	**22**	1	0	**1**
16	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	0	**01**	0	0	**0**
17	के.पी.ओ.	02	0	**2**	0	0	**0**
18	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	01	0	**01**	0	0	**0**
19	सहायक ग्रेड-1	04	07	**11**	2	3	**5**
20	सहायक ग्रेड-2	05	27	**32**	5	10	**15**
21	सहायक ग्रेड-3	20	61	**81**	02	15	**17**
22	वाहन चालक	5	7	**12**	01	5	**06**
23	वाहन चालक (आकस्मिकता निधि)	3	20	**23**	03	2	**5**
	चतुर्थ श्रेणी						

24	जमादार	1	0	**01**	01	0	**01**
25	भृत्य	15	61	**76**	14	29	**43**
26	चौकीदार	02	0	**2**	02	0	**02**
27	स्वीपर/फर्राश/वाटरमेन, (कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर)	05	36	**41**	05	9	**14**
	योग	**149**	**659**	**808**	**85**	**289**	**374**

परिशिष्ट–दो

संचालनालय के संभाग एवं निष्पादित कार्यविवरण

1. प्रशासन	1. प्रशासन, स्थापना, लेखा एवं लेखा परीक्षण
2. जिला सांख्यिकी तंत्र	1. जिलों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं निरीक्षण 2. जिले की प्रकाशनों की परिनिरीक्षण एवं दिशा–निर्देश 3. तकनीकी कार्यों की अर्धवार्षिक/वार्षिक समीक्षा
3. सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. राज्य के समस्त विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों की समीक्षा, मार्गदर्शन 2. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण
4. सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण	1. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन 2. आर्थिक सर्वेक्षण 3. जिलेवार सामाजार्थिक विकास सूचकांक 4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप
5. प्रकाशन/ पुस्तकालय	1. राज्य स्तरीय प्रकाशनों का प्रकाशन 2. पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का क्रय, विक्रय एवं संधारण
6. अन्य सर्वेक्षण एवं गणनाएं	1. छटवीं आर्थिक गणना 2. स्थानीय स्तर विकास से संबंधित मूलभूत सांख्यिकी 3. रोजगार–बेरोगार सर्वेक्षण 4. अलाभकारी संस्थाओं का सर्वेक्षण
7. भवन एवं गृह निर्माण सांख्यिकी	1 गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी 2. इमारती सामान के थोक भावों की जानकारी 3 आपदा प्रबंधन सांख्यिकी संकलन
8. राज्यीय आय	1. राज्य/जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान 2. राज्य/जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने हेतु प्रक्रियागत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना
9. लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण	1. लोक वित्त तथा स्थानीय संस्थाओं की सांख्यिकी का संकलन एवं संधारण 2. राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं के आय व्ययक का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण कर आय–व्यय संक्षेप में तैयार करना
10. औद्योगिक, खनिज, ऊर्जा एवं उत्पादन के सूचकांक सांख्यिकी	1. औद्योगिक, खनिज, एवं ऊर्जा सांख्यिकी 2. सार्वजनिक क्षेत्रों का लेखा विश्लेषण 3. लोक स्वास्थ्य एवं पविार कल्याण, समाज कल्याण,औद्योगिक सामाजिक सुरक्षा सांख्यिकी
11. पूंजी निर्माण	1. छ.ग. राज्य के सकल स्थायी पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करना
12. बाजार समाचार	1. थोक/फूटकर मूल्यों का संकलन/समीक्षा 2. कृषि उपज मंडियों का निरीक्षण 3. छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन प्रकाशन
13. जीवनांक सांख्यिकी	1. जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रणाली का संचालन, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण

	2. प्रभावी क्रियान्वयन की कार्यवाही 3. वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन 4. जन्म- मृत्यु रजिट्रीकरण अधिनियम 1969 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन 5. मृत्यु के कारणों का चिकित्सा आधार पर वर्गीकरण-प्रतिवेदन
14. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण, सारणीयन एवं प्रतिवेदन
15. बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना	1. संबंधित विभागों से प्रगति का मासिक संकलन, संधारण एवं संप्रेषण 2. केन्द्र द्वारा की गई समीक्षा की अनुवर्तन कार्यवाही
16. कार्यक्रम कार्यान्वयन संभाग ● सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक समीक्षा 2. राज्य समीक्षा बैठक आयोजित करना एवं निर्देश प्रसारित करना
● विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1. मुख्यालय स्तर पर प्रकरण तैयार कर शासन की ओर भेजना 2. विधान सभा क्षेत्रवार प्रतिवेदन संधारित करना 3. राज्य समीक्षा बैठक आयोजित करना एवं निर्देश प्रसारित करना 4. बजट कटौती प्रस्ताव तैयार करना 5. योजनांतर्गत अंकेक्षण, मॉनिटरिंग करना
● जनसहभागिता योजना	1. योजना का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण
17. सूचना कें अधिकार	1. प्रभावी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदकों को समय सीमा में जानकारी उपलब्ध कराना

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

भाग–1

विभागीय संरचना तथा सामान्य जानकारी

समाज के कमजोर वर्ग के निवासियों की आर्थिक सहायता एवं इन्हें सम्मान पूर्वक जीवनयापन के अवसर सुलभ कराने, तथा समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के प्रबोधन का कार्यक्रम केन्द्र शासन द्वारा अभिज्ञापित परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है । योजनाओं की प्रगति विभागाध्यक्ष कार्यालयों से प्राप्त कर केन्द्र शासन को संप्रेषित् की जाती है ।

विभागीय संरचना

केन्द्र शासन का बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग योजना की मासिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निर्गम करता है । छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत अभिज्ञापित प्रगति की समीक्षा का दायित्व राज्य स्तर पर वित्त एवं योजना विभाग द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को हस्तांतरित किया गया है । राज्य स्तर पर इस हेतु पदों की संरचना स्वीकृत नहीं है ।

अधीनस्थ कार्यालय

कार्यक्रम के प्रारंभ (वर्ष 1975 में) में प्रत्येक जिला/विकास खण्ड स्तर पर क्रमशः सहायक ग्रेड–2 व सहायक ग्रेड–03 का एक–एक पद स्वीकृत किया गया था जो आज भी जीवित है ।

विभागीय दायित्व

1. कार्यक्रम की प्रगति का संकलन, अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
2. राज्य/जिला/विकास खण्ड स्तरीय एवं शहरी बीस सूत्रीय समितियों का गठन ।
3. केन्द्र शासन के बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों पर अनुवर्तन कार्यवाही ।
4. सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
5. विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही ।

प्रभावी अधिनियम एवं नियम

1. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम, 1980
2. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम, 1997
3. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1991
4. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1997

विभाग का सामान्य दायित्व

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवेदित प्रगति/उपलब्धियों का समसामयिक मूल्यांकन अनुश्रवण एवं समितियों के सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना विभाग का सामान्य दायित्व है ।

<u>कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ</u>

1. प्रबोधन एवं अनुश्रवण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के सापेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए कार्यक्रम प्रगति/उपलब्धियों का राज्य प्रतिवेदन केन्द्र शासन को आगामी माह की पॉच तारीख तक संप्रेषित किया जा रहा है। कतिपय विषयों पर न्यूनतम उपलब्धियों पर विभागीय टीप प्राप्त कर शासन को अवगत कराया जाता है । कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश दिया जाता है ।

2. पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित दायित्व

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषयगत प्रगति व उपलब्धियों की समीक्षा का दायित्व क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं - (राज्य, जिला व जनपद पंचायतों) को प्रत्यायोजित किया गया है। कार्यक्रम की देख-रेख का दायित्व भी इन संस्थाओं को सौपा गया है।

<u>भाग-2</u>

कार्यक्रम के अंतर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय

कार्यक्रम अंतर्गत जिला/ जनपद पंचायत स्तर पर स्वीकृत पदों पर होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा वर्ष 2012-13 में 181.75 लाख रूपये का आबंटन उपलब्ध कराया गया है जिसके सापेक्ष्य में दिसम्बर, 2014 तक लगभग 33 प्रतिशत व्यय हुआ है ।

<u>भाग-3 -निरंक</u>

<u>भाग-4 -निरंक</u>

<u>भाग-5</u>

<u>अभिनव योजनाएँ</u>

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा की विषयगत सूची :-

1. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र/राज्य शासन द्वारा संचालित 20 कार्यकलापों को समाहित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. रोजगार सृजन-महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ।
2. (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, (एसजीएसवाई) ।
   (ख) एसजीएयवाई के अंतर्गत अ.जा.,अ.जा. महिलाओं एवं विकलांग स्वरोजगारियों को सहायता ।
3. (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गठित स्व सहायता ग्रुप।
   (ख) स्व सहायता ग्रुप जिन्हों आय का सृजन करने वाली गतिविधियां प्रदान की गई हैं ।
4. (क) भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण,

(ख) अ.जा.,अ.ज.जा एवं अन्य वितरित की गई बंजर भूमि

5. (क) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित) (i) किया गया निरीक्षण

(ii) पाई गई अनियमितताएं (iii) सुधारी गई अनियमितताएं

(ख) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित) (i) किए गए दावे

(ii) निपटाए गए दावे

(ग) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित) (i) लंबित अभियोजन केस

(ii) दायर किए गए अभियोजन केस (iii) निर्णीत अभियोजन केस

6.(क) खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) एएवाई, एपीएल और बीपीएल के लिए

(ख) खाद्य सुरक्षा-टीपीडीएस केवल अन्त्योदय अन्न योजना(एएवाई)

(ग) खाद्य सुरक्षा-टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)

(घ) खाद्य सुरक्षा-टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)

7. ग्रामीण आवास -इंदिरा आवास योजना

8. शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास,

9. (क) ग्रामीण क्षेत्र-एआरडब्ल्यूएसपी शामिल बसावटें (एनसी/पीसी)

(ख) छूटी हुई बसावटों तथा जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली बसावटों में कार्यों की शुरूआत

10. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम,

11. संस्थानिक प्रसव,

12. सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार

13. आईसीडीएस योजना का वैश्वीकरण (संचयी)

14. क्रियाशील आंगनवाड़िया (संचयी)

15. सात सूत्री चार्टर के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या

16. (क) वनरोपण- रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

(ख) वनरोपण - रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

17. ग्रामीण सड़कें - पीएमजीएसवाई के अधीन निर्मित सड़के

18. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतंर्गत गांव को बिजली प्रदान की गई ।

19. पम्पसेटों को बिजली

20. विद्युत आपूर्ति

वार्षिक लक्ष्य 2013–14

केन्द्र शासन द्वारा राज्य के लिये निर्धारित लक्ष्य बिन्दंवार निम्नानुसार है :-

योजना/कार्यक्रम विवरण	भौतिक इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य
1	2	3
1. ग्रामीण आवास निर्माण	आवास संख्या	48004
2. एकीकृत बाल विकास परियोजना	परियोजनाओं की संख्या	220
3. ऑगनबाड़ी संचालन	ऑगनबाड़ी संख्या	55372
4. अनुसूचित जाति परिवार सहायता	हितग्राही संख्या	98071
5. वृक्षारोपण–क्षेत्र अच्छादित	हेक्टर	64220
6. वृक्षारोपण–वृक्ष	वृक्ष संख्या	41743000
7. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क	सड़क किलोमीटर	1900
8. राजीव गांधी विद्युतीकरण	ग्राम संख्या	525
9. अनुसूचित जाति विद्यार्थी सहायता	हितग्राही संख्या	94548

भाग–6

प्रकाशन

राज्य शासन द्वारा समेकित प्रतिवेदन के आधार पर समसामयिक समीक्षा की जाती है, तदनुरूप केन्द्र शासन द्वारा भी राज्य के परिपेक्ष्य में समीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है ।

राज्य शासन अथवा संचालनालय द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम संबंधी कोई भी प्रकाशन जारी नहीं किया जाता है ।

भाग–7 सारांश –निरंक

–––––000––––